प्रशासकीय प्रतिवेदन
2022-23
(31 दिसम्बर 2022 तक)

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

माननीय मुख्यमंत्री जी "इन्वेस्ट मध्यप्रदेश - ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023" का शुभारंभ करते हुए।

माननीय मुख्यमंत्री जी विदेशी निवेशकों को एमओयू प्रदान करते हुए।

मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन 2022–23

(31 दिसम्बर 2022 तक)

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

अनुक्रमणिका

क्रमांक	अध्याय		पृष्ठ क्र.
01		विभागीय मंत्री तथा सचिवालय में पदस्थ अधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों की जानकारी	1
02	भाग-एक	विभागीय संरचना, अधीनस्थ कार्यालय/निगमों की सामान्य जानकारी, विशेषताएं, महत्वपूर्ण सांख्यिकी	03 – 41
03	भाग-दो	बजट विहंगावलोकन एवं योजनावार प्रावधान, लक्ष्य, व्यय	42 – 44
04	भाग-तीन	राज्य योजनाएं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	45 – 50
05	भाग-चार	सामान्य प्रशासनिक विषय	51 – 54
06	भाग-पांच	अभिनव योजना	55 – 56
07	भाग-छ:	विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन	57
08	भाग-सात	सारांश	58 - 60
09	भाग-आठ	महिलाओं के लिए किए गए कार्य	61

विभाग का नाम
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्री	माननीय श्री राजवर्धन सिंह	दिनांक 12.07.2020 से निरंतर
प्रमुख सचिव	श्री संजय कुमार शुक्ल	दिनांक 11.05.2020 से 10.11.2022 तक
	श्री मनीष सिंह	दिनांक 11.11.2022 से निरंतर
सचिव	जॉन किंग्सली	दिनांक 11.08.2020 से 10.11.2022 तक
अपर सचिव	श्री विजय कुमार बरोनिया	दिनांक 05.11.2020 से निरंतर
उप सचिव	श्रीमती अंजू पवन भदोरिया	दिनांक 14.12.2022 से 14.02.2023 तक
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	श्री तरूण कुमार कटारे	दिनांक 11.07.2016 से निरंतर
	विभागाध्यक्ष	
पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं	श्री आलोक नागर	दिनांक 01.06.2016 से निरंतर
प्रभारी संचालक, वाष्पयंत्र	श्री जी.पी. पटेल	दिनांक 01.07.2016 से निरंतर

भाग – 1
विभागीय संरचना

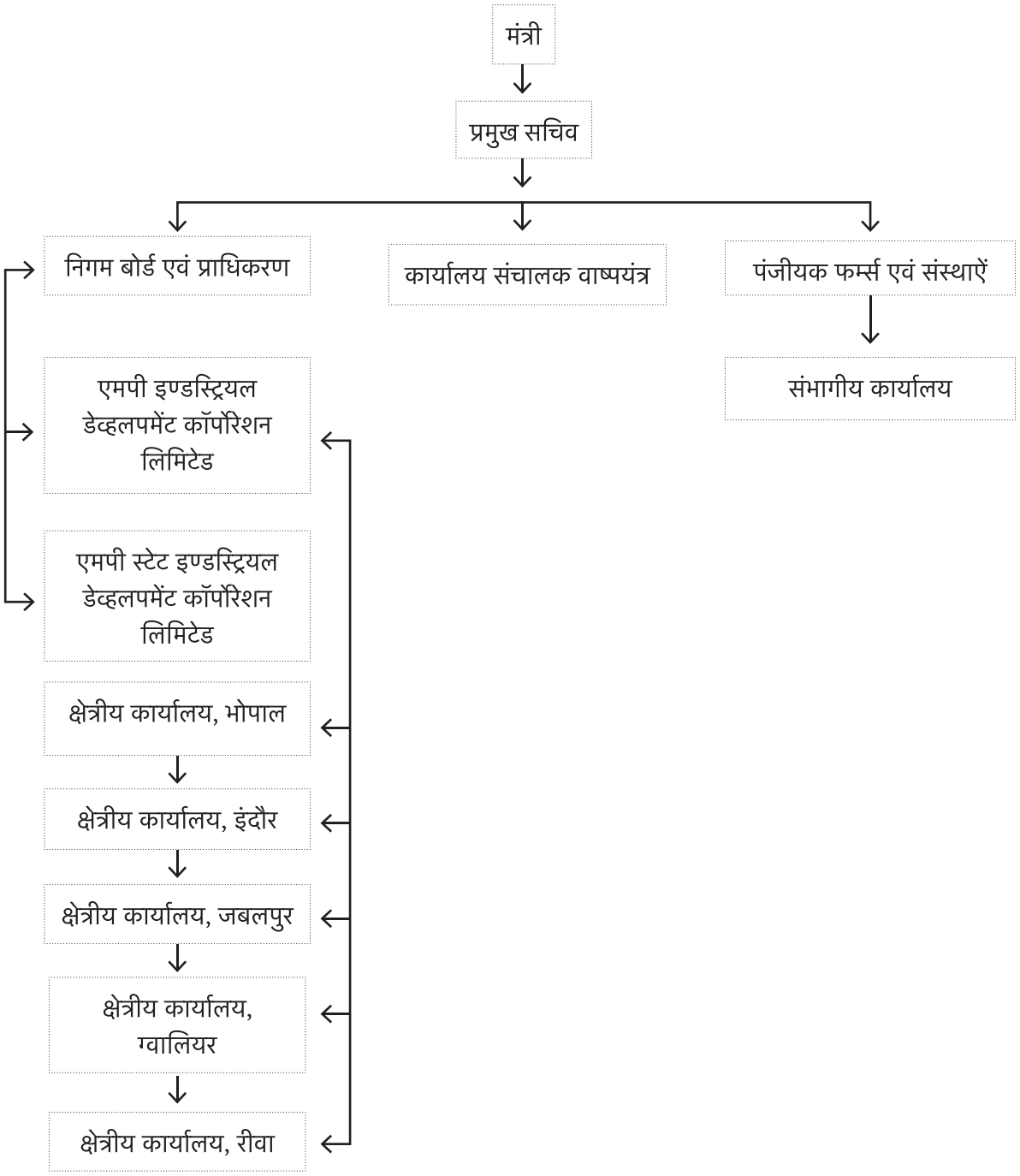

सामान्य जानकारी

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

उद्देश्य- औद्योगीकरण तथा निजी पूंजी निवेश के माध्यम से प्रदेश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तथा रोजगार के अवसरों का सृजन

उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रणनीति

- ब्रांड एमपी स्थापित करना
- औद्योगिक अधोसंरचना का विकास
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
- उद्योग संवर्धन नीति-उद्योगों को वित्तीय सहायता
- निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति
- शिकायत निवारण व्यवस्था

वर्तमान में विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अंतर्गत दो विभागाध्यक्ष है :-

(1) रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाए, मध्यप्रदेश
(2) संचालक, वाष्पयंत्र, मध्यप्रदेश

वर्तमान में विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रम/बोर्ड निम्नानुसार है:-

सार्वजनिक उपक्रमों के अंतर्गत:-

(1) एम.पी.इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.
(2) मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.

एम.पी.आई.डी.सी. से संबद्ध सहायक कंपनियां :-

- पीथमपुर ऑटो क्लस्टर
- मध्यप्रदेश प्लास्टिक पार्क डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
- मध्यप्रदेश प्लास्टिक सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन ग्वालियर लिमिटेड
- डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड
- पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड

नीतिगत प्रावधान :-

प्रदेश में औद्योगीकरण के लिये किये जा रहे प्रयासों और नीतियों के फलस्वरूप देश के प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों एवं निवेशकों द्वारा प्रदेश में निवेश की रूचि प्रदर्शित की गई है। निवेश के वातावरण को निरंतर बनाये रखने की दृष्टि से उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2023) प्रभावशील है। नीति के प्रमुख नीतिगत बिंदु निम्नानुसार है :-

- सुविधा प्रदान करने की प्रक्रिया में सुधार लाकर सभी निवेशकों के लिये एक उपयुक्त परिवेश बनाना ताकि वे आसानी से अपना व्यापार कर सकें।
- वित्तीय प्रोत्साहन और रियायतों से निवेश को आकर्षित करना।

- उद्योगों के लिये भूमि की भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ''भूमि बैंक'' (Land Bank) की स्थापना।
- विकसित औद्योगिक भूमि प्रतिस्पर्धी मूल्य पर निवेशकों को उपलब्ध कराना।
- वृहद श्रेणी की खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में संलग्न उद्योगों एवं सेवाओं तथा वृहद कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन, राईपनिंग चेम्बर, इंडिविज्युअल क्विक फ्रीजिंग आदि को प्रोत्साहित करने तथा अधिकाधिक निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से विशिष्ट वित्तीय सहायता उद्योग संवर्धन नीति 2014 के अनुक्रम में सम्मिलित की गई।
- टेक्सटाईल सेक्टर में ''मूल्य संवर्धित'' (value added) श्रृंखला को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से परिधान क्षेत्र की वृहद श्रेणी की निर्माण इकाईयों को विशिष्ट वित्तीय सहायता का प्रावधान दिनांक 09.04.2018 से सम्मिलित किया गया।
- जीएसटी प्रणाली लागू होने से एवं भारत के मध्य स्थल में अवस्थित होने के दृष्टिगत उद्योग सवंर्धन नीति 2014 के अनुक्रम में लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब एवं पार्क को वित्तीय सहायता एवं अन्य सुविधायें दिनांक 22.6.2018 से सम्मिलित की गई।
- जीएसटी प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप नीति अंतर्गत देय वेट/सीएसटी/प्रवेश कर छूट सुविधा को विलोपित कर वृहद औद्योगिक परियोजनाओं को टेक्स प्रणाली से पृथक कर निवेश प्रोत्साहन योजना दिनांक 01.04.2018 से 31.3.2022 तक उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाईयों पर लागू किया गया।
- वृहद श्रेणी की बंद इकाईयों के प्रबंधन परिवर्तन उपरांत पुर्नसंचालित करने पर विशेष पैकेज का प्रावधान दिनांक 28.8.2018 से सम्मिलित किया गया।
- निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों को रोजगार प्रदान करने पर विशेष वित्तीय सहायता दिये जाने के प्रावधान दिनांक 28.8.2018 से सम्मिलित किये गये।
- उद्योग सवंर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2021) अंतर्गत प्रावधानित वित्तीय तथा अन्य सुविधाओं का लाभ लेने वाली इकाईयों को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये कुल रोजगार का 70 प्रतिशत रोजगार मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को दिया जाना। दिनांक 19.12.2018 के बाद उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाईयों को अनिवार्य किया गया।
- औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाईयों को उनके परिसरों/रूफटॉप पर सौलर पावर प्लांटस की स्थापना द्वारा हरित एवं सस्ती ऊर्जा से लाभावित्त किये जाने हेतु निर्णय लिया गया।
- वृहद श्रेणी की इकाईयों को नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान पेटेंट/आईपीआर पंजीकरण हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति, गुणवत्ता प्रमाणीकरण तथा जांच प्रयोगशाला में व्यय को निवेश प्रोत्साहन सहायता अंतर्गत सम्मिलित करने संबंधी प्रावधान सम्मिलित किये गये। उक्त अनुक्रम में अवशिष्ट प्रबंधन प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों, स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरणों तथा जल संरक्षण उपायों की स्थापना पर किये गये व्यय की अधिकतम प्रतिपूर्ति की सीमा रू. 1 करोड तक की गई। परिधान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिये अधिकतम सहायता में वृद्धि की गई। फार्मास्युटिकल, विनिर्माण इकाईयों को नीति अंतर्गत सुविधाओं का लाभ लेने हेतु उत्पादन दिनांक से 2 वर्ष तक स्लेक पीरियड की सुविधा प्रदान की गई।
- राज्य शासन के आदेश दिनांक 01.05.2021 द्वारा प्रदेश में उपलब्ध ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने हेतु ऑक्सीजन उत्पादन क्षेत्र में नवीन निवेश को आकर्षित करने के उददेश्य से

उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2020) में ऑक्सीजन उत्पादन इकाईयों एवं ऑक्सीजन उपकरण निर्माण इकाईयों हेतु विशेष वित्तीय सहायता स्वीकृत प्रदान की गई है।

- राज्य शासन के आदेश दिनांक 17.09.2021 से एथेनॉल एवं जैव ईंधन इकाईयों को प्रोत्साहित एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एथेनॉल एवं जैव ईंधन प्रोत्साहन योजना लागू की गई है।
- राज्य शासन द्वारा निवेश प्रोत्साहन सहायता योजना के लाभ हेतु योजना की प्रभावशीलता अवधि दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2022 तक को संशोधित करते हुये दिनांक 01.04.2018 से नवीन नीति के अधिसूचित होने के दिनांक तक किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 05.07.2022 से प्रावधान किया गया ।
- राज्य शासन द्वारा जीएसटी प्रणाली लागू होने पर उद्योग संवर्धन नीति 2014 अंतर्गत प्रदान की जा रही सुविधा का लाभ इकाईयों को दिए जाने हेतु विक्रय गणक की गणना के संदर्भ में विक्रय का आशय विक्रय के मूल्य से होने एवं सुविधा/सहायता की गणना में विक्रय गणक का आंकलन विक्रय मूल्य के आधार पर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 25.11.2022 से प्रावधान किया गया ।
- राज्य शासन द्वारा उद्योग संर्वधन नीति 2014 अंतर्गत परिधान निर्माण क्षेत्र की वृहद श्रेणी की इकाईयों हेतु विशिष्ट वित्तीय सहायता का लाभ दिनांक 01.04.2018 से नवीन उद्योग संवर्धन नीति के अधिसूचित होने की दिनांक तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाईयों को दिये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 06.01.2023 से प्रावधान किया गया है ।
- राज्य शासन द्वारा उद्योग संवर्धन नीति 2014 अंतर्गत लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब/पार्क को विशिष्ट वित्तीय सहायता का लाभ आदेश जारी होने की दिनांक अर्थात् 22.06.2018 से नवीन उद्योग संवर्धन नीति के अधिसूचित होने की दिनांक तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाईयों को दिए जाने हेतु शासनादेश दिनांक 06.01.2023 से प्रावधान किया गया है ।

निवेश संवर्धन पर मंत्रिपरिषद समिति : -

राज्य शासन के आदेश दिनांक 31.01.2013 द्वारा मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम 2008 के अंतर्गत निवेश प्रस्ताव पर कस्टमाईज्ड पैकेज प्रदान करने हेतु निवेश संवर्धन पर मंत्रिपरिषद समिति का गठन किया गया।

निवेश प्रस्ताव : -

वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि में माह अप्रैल 2022 से दिसबंर 2022 तक निवेश संवर्धन पर मंत्रिपरिषद समिति की कुल 04 बैठकें आयोजित की गई, जिनमें रू. 53516.71 करोड़ के 24 नवीन /विस्तार/शवलीकृत औद्योगिक इकाईयों की स्थापना संबंधी निवेश प्रस्तावों को कस्टमाईज्ड पैकेज प्रदान किये जाने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृत परियोजनाओं में लगभग 15181 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होना संभावित है।

माननीय मुख्यमंत्री जी की निवेशकों से वन-टू-वन बैठक : -

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निवेशकों के साथ समय-समय पर बैठके आयोजित कर समस्याओं का निराकरण कर प्रदेश में निवेश हेतु मार्ग प्रशस्त किया गया।

➢ **प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (पीएमजी) की बैठक : -**

प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (पीएमजी) की स्थापना वर्ष 2013 में केन्द्रीय सचिवालय, भारत सरकार के अधीन विशेष सेल/कक्ष के रूप में की गयी थी। वर्ष 2015 में पीएमजी का प्रशासनिक नियंत्रण प्रधानमंत्री कार्यालय को हस्तांतरित किया गया। वर्ष 2019 में पीएमजी का इन्वेस्ट इण्डिया, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के साथ विलय किया गया।

प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (https://pmg.dpiit.gov.in/) रुपये 500 करोड़ से अधिक के अनुमानित निवेश वाली परियोजनाओं के संबंध में आवश्यक अनुमोदन/मंजूरी की फास्ट-ट्रैकिंग और समस्या समाधान में तेजी लाने के लिए एक संस्थागत तंत्र है।

माह अप्रैल 2022 से दिसबंर 2022 की अवधि में पीएमजी की राज्य स्तरीय बैठक मान. संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी, भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 22.06.2022 को आयोजित की गई थी। उक्त बैठक में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप तथा केन्द्र एवं राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से भाग लिया गया।

मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2019(यथा संशोधित 2022) : -

प्रदेश में विकसित/ विकासाधीन एवं अविकसित भूमि के उचित एवं कुशल प्रबंधन हेतु मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2019 लागू है, जिसकी मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है :-

- विकसित एवं विकसित की जाने वाली औद्योगिक प्रयोजन की भूमि में 01 हैक्टेयर तक 75 प्रतिशतएवं 01 हैक्टेयर से 20 हैक्टेयर तक 50 प्रतिशत भूमि के मूल्य में छूट दिये जाने का प्रावधान किया गया है ।
- औद्योगिक क्षेत्र में पट्टाग्रहिता इकाई को 05 प्रतिशत भूमि अधिकतम 05 एकड़ भूमि पर श्रमिक/तकनीकी स्टॉफ के निवास हेतु, भवन निर्मित करने का प्रावधान किया गया है।
- उद्योग उपयोगी सेवा प्रदाता इकाईयां जैसे- लॉण्ड्री, स्टीम, नेच्युरल गैस, विद्युत प्रदाता इकाईयों को भूमि आवंटन, वृक्षारोपण हेतु अनुमति देने का प्रावधान किया गया है ।
- इकाई द्वारा निर्धारित भू-भाटक का 10 गुना एकमुश्त जमा करने पर आगामी 20 वर्षों तक भू-भाटक से मुक्ति का प्रावधान किया गया है।
- भूमि का अधिकाधिक सदुपयोग सुनिश्चित करने हेतु औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्डों के लिये विकास के मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं, जिसमें निर्मित क्षेत्र अधिकतम 75 प्रतिशत एवं फर्शी क्षेत्रानुपात (एफ.ए.आर.) अधिकतम 2 किये जाने का प्रावधान किया गया है।
- औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की अधिसूचना दिनांक 05.08.2022 द्वारा कतिपय औद्योगिक क्षेत्रों में प्रब्याजी एवं विकास शुल्क में छूट तथा किश्तों में भुगतान की सुविधा का लाभ निवेशकों को दिया जाना प्रावधानित किया गया है ।
- बंद इकाईयों को आवंटित भूमि का विभाजन एवं हस्तांतरण के प्रावधान भी किये गये हैं ।

अधीनस्थ कार्यालय/निगमों की सामान्य जानकारी

कार्यालय रजिस्ट्रार,फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश

दायित्व :- इस कार्यालय को निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन का कार्य सौंपा गया है :-

(अ) भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932

(ब) मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973

(1) **भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932-** इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किये जाते हैं :-

(अ) व्यापारिक भागीदारी फर्मों को रजिस्ट्रीकृत करना।

(ब) फर्मों की रचना में परिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदनों को रिकॉर्ड में दर्ज करना।

(स) भागीदारों एव अन्य द्वारा चाहे जाने पर प्रलेखों की प्रतियां जारी करना।

इस अधिनियम के तहत विगत 05 वर्षों में रजिस्ट्रीकृत की गई फर्मों की संख्या वर्षवार निम्नानुसार है :-

वर्ष	पंजीयत फर्म्स की संख्या
2018-2019	1987
2019-2020	1919
2020-2021	2199
2021-2022	2185
2022–2022	1362(दि.31/12/2022 की स्थिति में)

(2) **मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 –** इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किये जाते हैं :-

(अ) शैक्षणिक, सांस्कृतिक, परोपकारी, जनकल्याणकारी, स्वयंसेवी संस्थाओं को रजिस्ट्रीकृत करना।

(ब) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन प्राप्त आवेदनों को निराकृत करना।

(स) संस्थाओं एवं अन्य द्वारा चाहे जाने पर अधिनियम के प्रावधानों के अधीन प्राप्त प्रलेखों की प्रतियां नियमानुसार जारी करना।

(द) रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं की जांच, विशेष ऑडिट, निरीक्षण एवं शासन द्वारा प्रशासक नियुक्ति आदि के कार्य किए जाते हैं।

इस अधिनियम के तहत विगत 05 वर्षों में रजिस्ट्रीकृत की गई संस्थाओं की संख्या वर्षवार निम्नानुसार है :-

वर्ष	पंजीयत फर्म्स की संख्या
2018-2019	6158
2019-2020	6443
2020-2021	4450
2021-2022	3698
2022-2023	2448(दि.31/12/2022 की स्थिति में)

(3) **एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से रजिस्ट्रीकरणः-** मुख्यालय के अंतर्गत सभी सात संभागीय कार्यालयों में जन सामान्य की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये एम. पी. ऑनलाईन के माध्यम से संस्थाओं एवं फर्मों के ऑनलाईन पंजीयन का कार्य किया जाकर ई-साइन डिजीटल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण पत्र भेजे जा रहे हैं। पंजीयन प्रकरण आनलाईन अनुमोदित किये जाकर ई-साइन के उपरांत स्वीकार किये जाकर आनलाइन प्रमाणपत्र जारी किये जा रहे है । कार्यालय द्वारा समयसीमा में पंजीयन प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है । निराकरण ना होने की दशा में डीम्ड अनुमोदन तथा डीम्ड प्रमाणपत्र जारी किये की व्यवस्था लागू की गई है ।

(4) कार्यालयीन मूल रेकार्ड का डिजिटाईजेशनः- कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं के मूल रेकार्ड के डिजिटाईजेशन का कार्य, कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा जनभागीदारी से नवम्बर 2017 से प्रारम्भ किया है । इसके अंतर्गत प्रदेश के 7 संभागीय कार्यालयों की लगभग 1 लाख 40 हजार संस्थाओं के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र तथा ज्ञापन-नियमावाली के स्केनिंग का कार्य पूर्ण किया गया है। स्केनिंग के पश्चात फाईलों को अपलोड कर डेटा एन्ट्री का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है । साथ ही जिन संस्थाओं के रिकार्ड की डेटा एन्ट्री हो चुकी है, के वेरीफिकेशन का कार्य भी कार्यालयीन कर्मचारियों द्वारा 80 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है । शेष रेकार्ड की डेटा एन्ट्री एवं वेरीफिकेशन का कार्य प्रगति पर है।

(5) **लोक सेवा गारंटी :-** मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश द्वारा प्रशासित मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 एवं भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की कुल 21 सेवाएं सम्मिलित की गई हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है –

स.क्र.	सेवा क्र.	विवरण
01.	36.1	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1973 के प्रावधानों के अनुसार समिति, युवामंडल, महिला मंडल आदि स्वयं सेवी संस्थाओं के रजिस्ट्रीकरण संबंधी सेवा (धारा 7)
02.	36.2	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार समिति, युवामंडल, महिला मंडल आदि स्वयं सेवी संस्थाओं के पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी तत्काल सेवा (धारा 7)
03.	36.3	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार समिति, युवामंडल, महिला मंडल आदि स्वयं सेवी संस्थाओं के पंजीयन आवेदन के अनुमोदन संबंधी सामान्य सेवा (धारा 7)
04.	36.4	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार समिति, युवामंडल, महिला मंडल आदि स्वयं सेवी संस्थाओं के पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी सामान्य सेवा (धारा 7)
05.	36.5	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत उपविधियों में संशोधन आवेदन के अनुमोदन संबंधी सेवा (धारा 10 एवं 13)
06.	36.6	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत उपविधियों में संशोधन आवेदन की स्वीकृति संबंधी सेवा (धारा 10 एवं 13)
07.	36.7	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन भागीदारी फर्म के पंजीयन आवेदन के अनुामेदन संबंधी सेवा (धारा 59)
08.	36.8	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन भागीदारी फर्म के पंजीयन

स.क्र.	सेवा क्र.	विवरण
		प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी सेवा (धारा 59)
09.	36.9	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन फर्म के नाम में या कारोबार के प्रमुख स्थान में परिवर्तन के वृत्तान्त पत्र के अनुमोदन संबंधी सेवा (धारा 60)
10.	36.10	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन फर्म के नाम में या कारोबार के प्रमुख स्थान में परिवर्तन के वृत्तान्त पत्र की स्वीकृति संबंधी सेवा (धारा 60)
11.	36.11	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन शाखाओं को बंद करने और खोलने को टिप्पणित किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन के अनुमोदन संबंधी सेवा (धारा 61)
12.	36.12	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन शाखाओं को बंद करने और खोलने को टिप्पणित किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन की स्वीकृति संबंधी सेवा (धारा 61)
13.	36.13	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन भागीदारों के नामों और पतों में तब्दीलियों को टिप्पणित किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन के अनुमोदन संबंधी सेवा (धारा 62)
14.	36.14	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन भागीदारों के नामों और पतों में तब्दीलियों को टिप्पणित किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन की स्वीकृति संबंधी सेवा (धारा 62)
15.	36.15	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन फर्म के भागीदारों के तब्दीलियों और उसके विघटन से संबंधित आवेदन के अनुमोदन संबंधी सेवा (धारा 63 (1))
16.	36.16	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन फर्म के भागीदारों के तब्दीलियों और उसके विघटन से संबंधित आवेदन की स्वीकृति संबंधी सेवा (धारा 63 (1))
17.	36.17	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन फर्म के अवयस्क भागीदार के वयस्क होने के अभिलेख के अनुमोदन संबंधी सेवा (धारा 63 (2))
18.	36.18	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन फर्म के अवयस्क भागीदार के वयस्क होने के अभिलेख की स्वीकृति संबंधी सेवा (धारा 63 (2))
19.	36.19	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन भूलों का परिशोधन (धारा 64)
20.	36.20	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन फर्म संबंधी दस्तावेजों का निरीक्षण (धारा 66)
21.	36.21	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन प्रतियों का दिया जाना (धारा 67)

(6) **महत्वपूर्ण सांख्यिकी** :- इस कार्यालय की आय वृद्धि हेतु शासन द्वारा अधिनियमों में पारदर्शिता लाने के लिये आवश्यक संशोधन किये गये तदुपरांत इस कार्यालय की आय में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हुई है। विगत 05 वर्षों का विवरण निम्नानुसार हैः-

वर्ष	लक्ष्य	आय (लाख में)
2018-2019	900.00 लाख	1133.75 लाख
2019-2020	1000.00 लाख	1353.72 लाख
2020-2021	1050.00 लाख	1217.36 लाख
2021-2022	1100.00 लाख	1558.11 लाख
2022-23	1150.00 लाख	1213.55 लाख (दि.31/12/2022 की स्थिति में)

संचालक, वाष्पयंत्र मध्यप्रदेश

दायित्व:- मध्यप्रदेश राज्य में बायलर अधिनियम 1923, भारतीय बायलर विनियम 1950, मध्यप्रदेश बायलर नियम 1969 व मध्यप्रदेश मितोपयोजक नियम 1959 का पालन सुनिश्चित करना एवं बायलर परिचारक नियम 2011 एवं बायलर चालन इंजीनियर नियम 2011 के अन्तर्गत परीक्षाओं का आयोजन कर योग्यताधारी उम्मीदवारों को प्रमाण-पत्र प्रदान करना ।

सामान्य जानकारी:-

1. राज्य में स्थित उद्योगों में स्थापित बायलरों का निरीक्षण कर वैधता प्रमाण-पत्र जारी कर राज्य के उद्योगों में बायलर संबंधी दुर्घटनाओं को नियंत्रित करना ताकि उद्योगों में होने वाली जन धन की हानि को रोका जा सके एवं दक्षतापूर्ण बायलरों का उपयोग ।
2. राज्य में स्थापित होने वाले नवीन बॉयलरों का पंजीयन करना।
3. राज्य में होने वाली बायलर संबंधी दुर्घटनाओं की जॉच करना।
4. राज्य में निर्माण होने वाले बायलरों का तकनीकी परीक्षण एवं निर्माण के दौरान निरीक्षण ।
5. राज्य से अन्य राज्यों में स्थानांतरित होने वाले व राज्य में अन्य राज्यों से स्थानांतरित हुए बायलरों का रेकार्ड रखना ।
6. बायलर एवं स्टीम लाईन के विभिन्न प्रेशर पार्टस की डिजाईन ड्राइंग का परीक्षण एवं निरीक्षण ।
7. स्टीम पाईप लाईन के मानचित्र का अनुमोदन एवं निरीक्षण ।

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 :-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत संचालक, वाष्पयंत्र मध्यप्रदेश की निम्न सेवाऐं अधिसूचित की गयी है –

क्र	सेवा क्र.	विवरण
1	38.1	बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 7 के अन्तर्गत बायलर का पंजीयन
2	38.2	बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 8 के अन्तर्गत बायलर का निरीक्षण
3	38.3	भारतीय बायलर विनियम, 1950 के विनियम 392(5) के अंतर्गत बायलर निर्माणकर्ता इकाईयों का अनुमोदन
4	38.4	भारतीय बायलर विनियम, 1950 के विनियम 392(5) के अंतर्गत बायलर इरेक्शनकर्ता इकाईयों का अनुमोदन
5	38.5	भारतीय बायलर अधिनियम 1950 के विनियम 392(5) के अंतर्गत बायलर सुधारक के रूप में पंजीयन
6.	38.6	भारतीय बायलर अधिनियम 1950 के विनियम 388 के अंतर्गत बायलर के स्थानांतरण की अनुमति
7.	38.7	बायलर अधिनियम 1923 की धारा 4 सी के अंतर्गत बायलर के विनिर्माण की अनुमति

महत्वपूर्ण सांख्यिकी : –

प्रतिवेदित अवधि में दिनांक 01.04.2022 से 31.12.ल2022 तक बायलर संचालनालय द्वारा किये गये बायलर निरीक्षण का समस्त ब्यौरा निम्नानुसार है ।

1	बॉयलर्स जिनका सम्पूर्ण निरीक्षण किया गया	580
2	बायलर्स जिनका जलदाब भार निरीक्षण किया गया	603
3	बॉयलर्स जिनका वाष्पभार निरीक्षण किया गया	76
4	बॉयलर्स जिनके प्रमाण-पत्र जारी किये गये	543
5	बॉयलर्स जिनको अनंतिम प्रमाण-पत्र दिये गये	148
6	इकोनामाइजर्स जिनका सम्पूर्ण निरीक्षण किया गया	15
7	इकोनामाइजर्स जिनके प्रमाण-पत्र जारी किये गये	15
8	इकोनामाइजर्स जिनके अंतःकालीन प्रमाण-पत्र जारी किये गये	07
9	बॉयलर्स जिनको कम अवधि के प्रमाण-पत्र दिये गये	00
10	बायलर्स जिनका वाष्पभार कम किया गया	01
11	बायलर्स जिनके लिये दुरूस्ति के आदेश दिये गये	05
12	बॉयलर्स जो मध्यप्रदेश से अन्य राज्यों को स्थानांतरित हुए	07
13	बॉयलर्स जो मध्यप्रदेश में अन्य राज्यों से स्थानांतरित हुए	03
14	दुर्घटना संबंधी रिपोर्ट जिसकी जांच की गई	01
15	नवीन बॉयलर्स पंजीकरण	66
16	नवीन इकोनामाइजर्स पंजीकरण	04
17	जारी वेल्डर्स प्रमाण-पत्र	00
18	वेल्डर्स प्रमाण-पत्र पृष्ठांकन संख्या	76

मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल

मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल (एमपीएसआईडीसी) पूर्व में मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, मध्यप्रदेश औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग (उद्योग, वाणिज्य और रोजगार विभाग पूर्व नाम) के अंतर्गत शासन का एक उपक्रम है। जिसका ध्येय प्रदेश में स्थापित होने वाले वृहद तथा मध्यम श्रेणी की इकाईयों को विभिन्न प्रकार की सहायता कर प्रदेश के औद्योगिकरण की गति को तेज करना था, जिससे मध्यप्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बना सके । निगम का मुख्यालय 'एव्हीएन टावर', प्लाट नंबर 192, जोन-1, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल (म.प्र.) में स्थित है। निगम का गठन 13 सितम्बर 1965 को कंपनीज एक्ट 1956 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था, जिसमें शत प्रतिशत अंशपूंजी में राशि मध्यप्रदेश शासन द्वारा वेष्ठित की गई है।

वर्तमान में निगम का कार्य मुख्यत- निगम में वितरित ऋणों की वसूली किया जाना है। निगम के संचालक निगम के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करते हैं ।

मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल

एम.पी. ट्रायफेक लिमिटेड का गठन वर्ष 2004 में तत्कालीन वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग (वर्तमान में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग) के अंतर्गत किया गया। रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, ग्वालियर द्वारा दिनांक 26.11.2018 को एम.पी. ट्रायफेक का नाम परिवर्तन कर एमपी इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. किया गया है। एमपी इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. के क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर एवं रीवा के रूप में कार्यरत है।

वर्तमान में एम.पी. इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल द्वारा निम्नकार्य/ दायित्व संपादित/निर्वहन किये जा रहे हैं :-

- राज्यों में औद्योगिक विकास, पूंजी निवेश एवं रोजगार सृजन हेतु समुचित सहायता।
- समस्त वित्तीय सुविधाओं की स्वीकृति तथा वितरण की नोडल एजेंसी।
- परियोजना स्वीकृति के लिये एकल खिड़की प्रणाली के सचिवालय के रूप में कार्य करना।
- उद्यमियों द्वारा किए जा रहे पूंजी निवेश के दौरान शासकीय विभागों/संस्थाओं तथा उद्यमियों के मध्य समन्वय।
- राज्य में उपयुक्त औद्योगिक एवं व्यवसायिक वातावरण बनाए रखने के लिये उद्यमी/ उद्योग संघों से चर्चा उपरांत नीति एवं नियमों पर शासन को सलाह/प्रस्ताव प्रस्तुत करना।
- राज्य में पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत, सेमीनार, प्रदर्शनी एवं संगोष्ठियों के माध्यम से संभावनाओं एवं जानकारियों का प्रचार-प्रसार करना।
- भारत के अन्य राज्यों में हो रहे विकास को दृष्टिगत रखते हुए नीतिगत सुधारों हेतु पहल करना।
- प्रदेश में औद्योगिक अधोसंरचना विकास, नियोजन एवं प्रबंधन का दायित्व।
- डी.एम.आई.सी. परियोजना क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी का दायित्व।
- निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति हेतु नोडल एजेंसी।
- ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन, निवेश प्रस्तावों की प्राप्ति एवं निवेश प्रोत्साहन एवं अनुसरण तथा उनके क्रियान्वयन के मॉनिटरिंग हेतु नोडल एजेंसी।
- निर्यात गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु नोडल एजेंसी।
- व्यापार संवर्धन सलाहकार मण्डल के सचिवालय का दायित्व निर्वहन।
- सीएसआर फेसिलिटेशन हेतु राज्य नोडल एजेंसी।
- लोकहित में उघोगों के फेसिलिटेशन हेतु राज्य शासन एवं निगम के संचालक मण्डल व्दारा निर्दिष्ट व्यवस्थाओं का क्रियान्वयन करना।
- वृहद अधोसंरचना तथा विनिर्माण परियोजनाओं की समस्या के समाधान हेतु गठित भारत सरकार, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप हेतु राज्य नोडल एजेंसी।

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश रोडमेप :-

मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये आर्थिक रूप से सक्षम और संपन्न बनाना महत्वपूर्ण कदम होगा । राज्य में निवेश को आकर्षित करने हेतु कई ठोस कदम उठाये गये हैं। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश में विभाग से संबंधित विषयों के क्रियान्वयन हेतु रोडमेप तैयार किया गया है। 30 दिवस में व्यवसाय शुरू करने के लिये विभिन्न प्रकियाओं का सरलीरकण कर ऑनलाईन व्यवस्था, एक जिला एक उत्पाद का चयन, निवेश कॉरीडोर, राज्य में व्यापार मेलों और निर्यात संबंधित क्षेत्रों के लिये कार्ययोजना, चंबल प्रोग्रेस वे, नर्मदा एक्सप्रेस वे को प्रमुख औद्योगिक केन्द्र के रूप में विकसित करना आदि विषय सम्मिलित किये गये हैं।

- **औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग से संबंधित लोक सेवा गारंटी अधिनियम,2010 के अंतर्गत अधिसूचित सेवाएं :-**

क्र.	सेवा क्र.	सेवाएं
1	20.8	आशय पत्र जारी करना- 1. इकाई अंतर्गत प्लांट एवं मशीनरी तथा शेड एवं बिल्डिंग में संयुक्त रूप से राशि रू. 10 करोड़ के बराबर अथवा उससे अधिक निवेश प्रस्तावित करने की स्थिति में । 2. इकाई अंतर्गत प्लांट एवं मशीनरी तथा शेड एवं बिल्डिंग में संयुक्त रूप से राशि रू. 10 करोड़ से कम निवेश प्रस्तावित करने की स्थिति में।
2	20.9	आवंटन आदेश जारी करना।
3	20.10	पट्टा अभिलेख का निष्पादन।
4	20.11	आधिपत्य प्रदान करना।
5	20.12	नगरीय क्षेत्रों में एमपीआईडीसी लि. के अधीन विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में भवन निर्माण की अनुमति ।
6	20.13	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की सेवा क्रमांक- (अ) आशय पत्र जारी करना 20.13 (वित्तीय सुविधा/सहायता हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र (उद्योग नीति अनुसार)।
7	(ब) 20.14	वित्तीय सुविधा/सहायता की पात्रता का निर्धारण।
8	20.15	उद्योग निवेश संवर्धन सहायता अंतर्गत क्लेम की स्वीकृति।
9	20.16	वृहद श्रेणी की टेक्सटाईल इकाईयों हेतु ब्याज अनुदान अंतर्गत क्लेम की स्वीकृति।
10	20.17	अधोसंरचना विकास पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति (बिजली, पानी एवं सड़क निर्माण हेतु) अंतर्गत क्लेम की स्वीकृति।
11	20.18	औद्योगिक पार्क की स्थापना/ विकास हेतु सहायता अंतर्गत क्लेम की स्वीकृति।
12	20.19	वृहद श्रेणी की इकाईयों हेतु अपशिष्ट प्रबंध प्रणालियों (ईटीपी/एसटीपी आदि) की स्थापना पर पूंजी अनुदान (हरित औद्योगिकीकरण) अंतर्गत क्लेम की स्वीकृति।

क्र.	सेवा क्र.	सेवाएं
13	37.1	म.प्र. इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. के अधीन विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में इकाईयों को जल आवंटन।
14	37.2	म.प्र. इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. के अधीन विकसित एवं विकासाधीन औद्योगिक क्षेत्रों तथा निगम के आधिपत्य की अविकसित भूमि में जल प्रदाय की उपलब्धता/ अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र।
15	37.3	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अंतर्गत एमपीआईडीसी द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाओं से संबंधित निवेशकों द्वारा दर्ज सभी प्रश्नों के संदर्भ में समुचित कार्यवाही एवं निराकरण सुनिश्चित करने हेतु।
16	37.4	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अंतर्गत एमपीआईडीसी द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाओं से संबंधित निवेशकों द्वारा दर्ज सभी शिकायतों के संदर्भ में समुचित कार्यवाही एवं निराकरण सुनिश्चित करने हेतु।
17	37.5	एमपीआईडीसी द्वारा उपार्जन हेतु जारी (सेवा/कार्य/सामग्री) निविदाओं के अनुमोदन पर निर्णय।
18	37.6	निविदा दस्तावेज अनुसार तयशुदा कार्य पूर्ण होने पर विक्रेताओं को भुगतान।
19	37.7	निवेश प्रोत्साहन सहायता अंतर्गत क्लेम की स्वीकृति।
20	37.8	गुणवत्ता प्रमाणीकरण एवं जॉच प्रयोगशाला को वित्तीय सहायता अंतर्गत क्लेम की स्वीकृति।
21	37.9	पेटेंट/आईपीआर पंजीकरण हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति अंतर्गत क्लेम की स्वीकृति।
22	37.10	एपरेल प्रशिक्षण संस्था की स्थापना हेतु सहायता अंतर्गत क्लेम की स्वीकृति।
23	37.11	परिधान क्षेत्र (गारमेन्टिंग सेक्टर) को विशिष्ट वित्तीय सहायता अंतर्गत क्लेम की स्वीकृति।
24	37.12	लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब/पार्क को विशेष वित्तीय सहायता अंतर्गत क्लेम की स्वीकृति।
25	37.13	कृषि/उद्यानिकी/ डेयरी प्रोसेसिंग हेतु कोल्ड चेन की स्थापना हेतु सहायता अंतर्गत क्लेम की स्वीकृति।

➢ **उददेश्यों की पूर्ति हेतु संचालित गतिविधियां एवं कार्ययोजना :-**

1. सिंगल विण्डो/आई टी संबंधी जानकारी : –

(i) इन्टेंशन टू इन्वेस्ट :- 01.04.2022 से 31.12.2022 के दौरान एमपीआईडीसी की वेबसाइट के माध्यम से निवेशकों द्वारा विभागीय सिंगल विण्डो सिस्टम अंतर्गत 553 निवेश आशय प्रस्ताव दर्ज किए गए जिनमें रू. 201675.85 करोड़ का पूंजी निवेश प्रस्तावित है तथा 148815 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होने की संभावना है।

(ii) INVEST (Integrated New Venture Establishment) पोर्टल :–

- निवेशकों की औद्योगिक परियोजनाओं का प्रस्ताव प्राप्त होते ही उसके क्रियान्वयन, पूर्ण होने तथा इकाई को स्वीकृत व समस्त सुविधाओं के वितरण सहित उसके पूरे जीवन चक्र की मॉनिटरिंग के लिए इन्वेस्ट (Integrated New Venture Establishment) नाम से पोर्टल तैयार किया गया है। सशक्त सिंगल विण्डो प्रणाली के तहत इस पोर्टल के माध्यम से सभी प्रक्रियाओं की सतत् समीक्षा की जाकर निर्धारित समय-सीमा में अनुमतियां/सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है तथा इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन को समयबद्ध रूप में फेसिलिटेट किया जा रहा है।
- राज्य के सिंगल विंडो सिस्टम अर्थात् इन्वेस्ट पोर्टल 2.0 का नेशनल सिंगल विण्डो सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन माह फरवरी 2022 में सफलता पूर्वक किया गया है। मध्यप्रदेश नेशनल सिंगल विण्डो सिस्टम में शामिल होने वाले प्रथम 12 राज्यों में से एक है।
- राज्य के सिंगल विंडो सिस्टम http//invest.mp.gov.in को भारत सरकार के नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम Integrate किया गया हैं। यह प्रणाली किसी भी व्यवसाय/उद्योग के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन (सिंगल विंडो सिस्टम) के रूप में कार्य करती है। वर्तमान में इस पोर्टल पर 12 विभागों से संबंधित 46 सेवाएं उपलब्ध हैं जिसमें निरंतर नई सेवाये जोड़ी जा रहीं हैं।

(i) ईज ऑफ डूइंग बिजनेस :-

- उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन हेतु विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं से अनुमतियॉ एवं स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। किसी भी प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश आकर्षित करने के संदर्भ में Ease of Doing Business का विषय अत्यंत प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गया है। इस संबंध में राज्य शासन की पहल पर विभिन्न विभागों के स्तर पर प्रक्रियाओं के सरलीकरण की दिशा में कार्यवाही की जा रही है और आवश्यक नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान के अंर्तराज्यीय मूल्यांकन में मध्यप्रदेश ने वर्ष 2015 तथा 2016 में पांचवीं रैंक, 2017-18 में सातवीं रैंक तथा 2019 में चौथी रैंक प्राप्त की है, साथ ही वर्ष 2020 की रैंकिंग में राज्य को Achievers की श्रेणी में रखा गया है।
- **बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान (BRAP) 2022** के लिए DPIIT भारत सरकार द्वारा कुल 352 रिफॉर्म (261- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, 91-ईज ऑफ लिविंग प्राप्त हुए हैं, जिन्हें राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित कर दिनांक 30 नवम्बर 2022 को DPIIT के पोर्टल पर Response जमा कर दिये गए हैं।
- **रिड्यूसिंग कम्प्लाइन्स बर्डन (RCB)** उद्योगों तथा नागरिकों पर अनुपालन बोझ को कम करने एवं "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" एवं "ईज ऑफ लिविंग" बढ़ावा देने के उद्देश्य से DPIIT भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गए रिड्यूसिंग कम्प्लाइन्स बर्डन कार्यक्रम के प्रथम चरण जो 15 अगस्त 2021 को समाप्त हुआ था, में प्रदेश द्वारा कुल 1896 अनुपालनों को कम अथवा समाप्त किया गया। कार्यक्रम के दूसरे चरण जो 15 अगस्त 2022 को समाप्त हुआ है, में मध्यप्रदेश द्वारा 531 अनुपालन बोझों को कम अथवा समाप्त किया गया है। इस प्रकार प्रदेश द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक कुल 2427 अनुपालन बोझों को सफलतापूर्वक कम अथवा समाप्त किया गया है।
- **स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज-** प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढावा देने हेतु स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज योजना को प्रारंभ किया गया है। इस अभिनव पहल के फलस्वरुप 08 विभागों की

44 सेवाओं की अनुमोदन समयावधि 30 कार्यदिवस या उससे कम कर दी गई है। 35 सेवाओं में डीम्ड अप्रूवल का प्रावधान किया गया है।

2. इन्वेस्टमेंट ड्राईव :-

प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने हेतु ''डेस्टिनेशन मध्यप्रदेश इन्वेस्टमेंट ड्राईव'' निर्वाध रूप से एक सतत् प्रक्रिया स्वरूप चल रहा है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न रोड-शो, वर्चुअल इवेंट्स एवं अन्य कार्यक्रमों का अयोजन एवं कार्यक्रमों में भागीदारी करते हुये निवेशकों से सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है।

प्रदेश की आकर्षक निवेश नीतियों से वैश्विक निवेशकों को अवगत कराने, प्रदेश को निवेश हेतु आकर्षक राज्य के रूप में प्रदर्शित करने तथा मध्यप्रदेश की मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2022-23 (1 अप्रैल 2022 से 31 जनवरी 2023 तक) में आयोजित/भागीदारी किये गये कार्यक्रम निम्नानुसार हैं :-

क्र	ईवेंट/रोड शो	राष्ट्रीय /अंतर्राष्ट्रीय/ वर्चुअल	ईवेंट दिनांक	स्थान
1	इंडिया फार्मा एण्ड मेडिकल डिवाइस	राष्ट्रीय	25 से 28 अप्रैल, 2022	नई दिल्ली
2	मध्यप्रदेश ऑटो एक्सपो-2022	राष्ट्रीय	28 से 30 अप्रैल, 2022	इंदौर, मध्यप्रदेश
3	मुम्बई रोड शो एवं सीआईआई वेस्टर्न रीजन एनुअल मीटिंग	राष्ट्रीय	21 से 22 जुलाई, 2022	मुम्बई, महाराष्ट्र
4	दिल्ली रोड शो 2022	राष्ट्रीय	02 सितम्बर, 2022	नईदिल्ली
5	मंथन- 2022	राष्ट्रीय	07 से 09 सितम्बर, 2022	बैंगलौर, कर्नाटक
6	अन्नपूर्णा अनुफूड इंडिया 2022	राष्ट्रीय	14 से 16 सितम्बर, 2022	मुम्बई, महाराष्ट्र
7	नॉनवुवन टेक एशिया 2022	राष्ट्रीय	23 से 25 सितम्बर, 2022	नईदिल्ली
8	ग्रामोदय मेला	राष्ट्रीय	09 से 12 अक्टूबर, 2022	चित्रकूट, मध्यप्रदेश
9	एस-सी, एस-टी बिजनेस कॉन्क्लेव	राष्ट्रीय	12 अक्टूबर, 2022	भोपाल, मध्यप्रदेश
10	विजिट ऑफ हेड ऑफ मिशन टू मध्यप्रदेश	राष्ट्रीय	17 से 18 अक्टूबर, 2022	भोपाल, मध्यप्रदेश
11	डेफएक्सपो-2022	राष्ट्रीय	18 से 22 अक्टूबर, 2022	गॉधीनगर, गुजरात

क्र	ईवेंट/रोड शो	राष्ट्रीय /अंतर्राष्ट्रीय/ वर्चुअल	ईवेंट दिनांक	स्थान
12	इन्वेस्ट एम. पी सेमिनार, एमबेस्डर मीट एण्ड जीआईएस-2023 कर्टेन रेजर	राष्ट्रीय	20 अक्टूबर, 2022	नई दिल्ली
13	इन्वेस्ट एम. पी सेमिनार	राष्ट्रीय	21 अक्टूबर, 2022	पूणे, महाराष्ट्र
14	इन्वेस्ट एम. पी सेमिनार एण्ड वन टू वन मीटिंग	राष्ट्रीय	10 एवं 11 नवम्बर, 2022	मुम्बई, महाराष्ट्र
15	टेक्सटाईल इनोवेशन मेला	राष्ट्रीय	21 नवम्बर, 2022	सूरत, गुजरात
16	इन्वेस्ट एम. पी सेमिनार, राउण्डटेबल एण्ड वन टू वन मीटिंग, बैंगलौर	राष्ट्रीय	24 नवम्बर, 2022	बैंगलौर, कर्नाटक
17	प्रवासी भारतीय दिवस - 2023	राष्ट्रीय	08 से 10 जनवरी, 2023	इंदौर, मध्यप्रदेश
18	इन्वेस्ट मध्यप्रदेश-ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट - 2023	राष्ट्रीय	11 एवं 12 जनवरी, 2023	इंदौर, मध्यप्रदेश

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष 2022-23 में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों/अधिकारियों द्वारा विभिन्न वेबिनार, वीडियो कॉन्फ्रेंस एवं अन्य वर्चुअल कार्यक्रमों में भी भागीदारी की गई ।

- **इन्वेस्ट मध्यप्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023:-**

मध्यप्रदेश के प्रमुख निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम ''इन्वेस्ट मध्यप्रदेश-ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023'' (जीआईएस-2023) का आयोजन दिनांक 11 एवं 12 जनवरी, 2023 को इंदौर, मध्यप्रदेश में किया गया। इस आयोजन का उददेश्य देश एवं विदेश के बड़े उद्योगपतियों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने हेतु एकल मंच प्रदान करना था, जिससे की निवेशकों एवं अन्य हितधारकों को मध्यप्रदेश में उपलब्ध निवेश की संभावनाओं एवं आकर्षक निवेश नीतियों से अवगत कराया जा सके ।

जीआईएस-2023 में क्षेत्र विशेष ''20 थीमेटिक सेशन्स'' का आयोजन किया गया, जिसका उददेश्य संबंधित क्षेत्रों के विकास एवं निवेश प्रोत्साहन पर पैनल चर्चा किया जाना था। साथ ही एक औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन भी जीआईएस-2023 के अभिन्न अंग के रूप में किया गया, जिसमें विभिन्न उत्पादों एवं सेवाओं के प्रदर्शन हेतु एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान किया गया।

जीआईएस-2023 में लगभग 5,000 इण्डस्ट्री केप्टन्स एवं जी20 देशों सहित 84 देशों से 400+ अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक खरीददारों द्वारा भागीदारी की गई। साथ ही विभिन्न बी2बी एवं बी2जी चर्चाओं का आयोजन भी किया गया। जीआईएस-2023 में लगभग रू 15.42 लाख करोड़ के ''इन्टेशन टू इन्वेस्ट इन मध्यप्रदेश'' प्राप्त हुये, जिसमें लगभग 29 लाख रोजगार का सृजन होना संभावित है।

3. औद्योगिक अधोसंरचना विकास :-

(i) नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना :-

प्रदेश में विगत वर्षों में चलाये जा रहे निवेश प्रोत्साहन अभियानों के तहत वैश्विक स्तर पर निवेशकों को आकर्षित करने हेतु अत्यंत प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर, विकसित औद्योगिक भूखंडों के सुलभ विकल्प उपलब्ध कराने के उद्धेश्य से चरणबद्ध तरीके से नवीन औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-17-20/2022/ए-ग्यारह दिनांक 11.04.2022 के द्वारा प्रदेश में 05 नवीन औद्योगिक क्षेत्र बैरसिया, जिला-भोपाल, आष्टा, जिला-सीहोर, तिलगारा, जिला-धार, मेगा औद्योगिक पार्क रतलाम फेस-1, जिला-रतलाम, नरसिंहपुर, जिला-नरसिंहपुर की कुल 1997.545 हेक्टेयर भूमि को राशि रू. 714.56 करोड़ की लागत से विकसित करने की अनुमति प्रदान की गई है।

इन्दौर-पीथमपुर इन्वेस्टमेंट रीजन अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र में पीथमपुर सेक्टर-7 की लगभग 610 हेक्टेयर भूमि को कुल राशि रू. 550.00 करोड़ की लागत से विकसित किया जा रहा है।

प्रदेश में सूचना प्रोद्योगिकी एवं सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु आई.टी. पार्क-3 एवं आई.टी.पार्क-4 इन्दौर में विकसित करने की कार्यवाही प्रचलन में है। आई.टी. पार्क क्रं. 3 को 2.38 हेक्टेयर भूमि पर राशि रू. 484.03 करोड़ एवं आई.टी. पार्क क्रं. 4 इन्दौर को 0.38 हेक्टेयर भूमि पर राशि रू. 47.87 करोड से विकसित किया जा रहा है।

प्रदेश के सभी अंचलों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने एवं विनिर्माण क्षेत्र की स्थापना किये जाने हेतु आगामी वर्षों में 11 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की कुल 701.87 हेक्टेयर भूमि को राशि रू. 466.35 करोड़ से विकसित किये जाने हेतु अनुमोदन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(ii) विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों का उन्नयन :-

औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए नए औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण एवं पूर्व विकसित क्षेत्रों का उन्नयन एक महत्वपूर्ण गतिविधि तथा निरन्तर प्रक्रिया है। अच्छी गुणवत्ता वाली औद्योगिक अधोसंरचना उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उत्पादन और परिवहन लागत को कम करने और दक्षता प्राप्त करने में सहायक होती है।

प्रदेश में 05 विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों के उन्नयन कार्य हेतु कुल राशि रू. 285.81 करोड़ की लागत से प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलन में है।

(iii) लैण्ड पूलिंग योजना 2019 :-

लैण्ड पूलिंग के द्वितीय चरण में लगभग 500 हेक्टेयर अतिरिक्त निजी भूमि को राशि रू. 153.60 करोड़ के व्यय से अधिग्रहण किये जाने हेतु मंत्रि-परिषद के आदेश क्रं. एफ 17-19/2022/ए-ग्यारह दिनांक 16.06.2022 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

(iv) भोपाल-इन्दौर एवं अटल प्रोग्रेसवे :-

भोपाल-इन्दौर एवं अटल प्रोग्रेसवे को एक समेकित आर्थिक विकास का आदर्श मॉडल बनाकर औद्योगिक पार्क विकसित किये जाने की योजना बनाई जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रस्तावित अटल प्रोग्रेसवे के औद्योगिक विकास एवं निवेश क्षमता के आंकलन हेतु मेसर्स ई एण्ड वाय कंसलटेंट को दिनांक 10.11.2020 को नियुक्त किया गया है। कन्सलटेंट द्वारा Preliminary Report दिनांक 23/11/2021 को प्रस्तुत की गई है, आगामी कार्यवाही प्रचलन में है।

(v) प्रदेश में फार्मा इण्डस्ट्री को बढ़ावा:-

मेडिकल डिवाईस पार्क की स्थापना :- भारत सरकार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, औषध विभाग द्वारा दिनांक 10.02.2022 को मध्यप्रदेश में मेडिकल डिवाईस पार्क की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार से स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में मेडिकल डिवाईस पार्क की स्थापना हेतु औद्योगिक क्षेत्र विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में किये जाने हेतु राज्य शासन के आदेश क्रं 16-60/2021/ए-ग्यारह दिनांक 11/04/2022 द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया गया है। मेडिकल डिवाईस की स्थापना राशि रू. 222.77 करोड से 360 एकड़ भूमि पर किया जाना है। जिसके लिये प्रथम चरण में राशि रू. 82.92 करोड़ की लागत से विकास कार्य प्रगति पर है।

- **नर्मदा प्रोग्रेसवें :-**

नर्मदा एक्सप्रेस-वे के तहत आने वाले संभावित जिलों का आंकलन किया जा रहा है, इन जिलों में संभावित क्षेत्रों की पहचान की जा रही है और लगभग 2200 एकड़ भूमि का प्रस्ताव प्राप्त हुआ तथा एमपीआईडीसी के 43 औद्योगिक क्षेत्र प्रभाव क्षेत्र में आते है। नर्मदा एक्सप्रेस-वे के अन्तर्गत नरसिंहपुर की 132.58 हेक्टेयर भूमि में राशि रू. 47.82 करोड़ की लागत से विकास कार्य प्रचलन में है।

- **रतलाम निवेश क्षेत्र :-**

म.प्र. शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के पत्र क्रं. एफ 17-32/2022/ए-ग्यारह दिनांक 18-05-2022 के द्वारा रतलाम की कुल 1666.36 हेक्टेयर भूमि में निवेश क्षेत्र अधिसूचित किया गया है। आगामी कार्यवाही प्रचलन में है।

- **देवास निवेश क्षेत्र :-**

मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-17-42/2022/ए-ग्यारह, दिनांक 29.08.2022 के द्वारा देवास की कुल 6630.198 हेक्टेयर भूमि में निवेश क्षेत्र अधिसूचित किया गया है। आगामी कार्यवाही प्रचलन में है।

- **मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क:-**

ग्राम जामोदी की कुल 126.50 हेक्टेयर भूमि पर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने हेतु राशि रू. 187 करोड़ से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। एन.एच.एल.एम.एल के माध्यम से लॉजिस्टिक पार्क विकसित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

राज्य शासन द्वारा भूमि अधिग्रहण हेतु 85.00 करोड़ राज्यांश की स्वीकृति दिनांक 21.12.2022 को प्रदान की गई।

- **Power and Renewable Energy Manufacturing Zone :-**

  एमपीआईडीसी द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र मोहासा-बाबई में Power and Renewable Energy Equipment मेन्युफेक्चरिंग जोन विकसित करने हेतु विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कुल 92.09 हेक्टेयर भूमि पर राशि रू. 210.50 करोड़ से विकसित करने हेतु दिनांक 02.11.2022 को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई।

- **महिला औद्योगिक क्षेत्र :-**

  महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए भोपाल के औद्योगिक क्षेत्र अचारपुरा में 10.00 एकड़ भूमि एवं इन्दौर के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में 50 एकड़ भूमि महिला उद्यमियों हेतु आरक्षित की गई है ।

- **टेक्सटाईल पार्क अचारपुरा :-**

  राज्य शासन द्वारा औद्योगिक क्षेत्र टेक्सटाईल पार्क अचारपुरा जिला भोपाल की भूमि विविध उद्योगों हेतु उपलब्ध कराने की स्वीकृति आदेश क्रं. एफ-17-19/2022/ए-ग्यारह दिनांक 16.06.2022 द्वारा दी गई है।

4. दिल्ली –मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) परियोजना :–

भारत सरकार द्वारा दिल्ली-मुम्बई के बीच Dedicated Freight Corridor (DFC) के दोनों ओर लगभग 150 कि.मी; तक के क्षेत्र में दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) परियोजना भारत सरकार द्वारा जापान सरकार के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग से क्रियान्वित करने की योजना है। प्रदेश के नीमच, रतलाम, मंदसौर, झाबुआ अलीराजपुर, धार, इंदौर उज्जैन, शाजापुर, देवास एवं राजगढ जिले परियोजना के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। डीएमआईसी परियोजना के लिए राज्य में एमपी इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड नोडल एजेंसी के रूप में नामांकित है।

(i) विक्रम उद्योगपुरी, उज्जैन:-

प्रदेश के उज्जैन जिले में डी.एम.आई.सी. योजना अन्तर्गत विक्रम उद्योगपुरी इंडस्ट्रीयल टाउनशिप 460 हेक्टेयर भूमि पर देवास उज्जैन राज्य राजमार्ग पर 300.00 करोड़ की लागत से विकसित की गई है। टाउनशिप अंतर्गत 91 इंडस्ट्रीयल प्लाट, 19 रेसीडेंशियल प्लाट, 17 कमर्शियल प्लाट एवं 20 प्लाट पब्लिक एवं सेमी पब्लिक हेतु, इस प्रकार सभी बुनियादी सुविधाओं सहित कुल 147 प्लाट विकसित किये गये हैं। विक्रम उद्योगपुरी में उद्योगपतियों एवं निवेशकों को भूमि आवंटन की ऑनलाइन कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ-16-60/2021/ए-ग्यारह दिनांक 11.04.2021 द्वारा मोहासा-बाबई के स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र विक्रम उद्योगपुरी, जिला-उज्जैन में 360 एकड़ भूमि पर मेडिकल डिवाईसेस पार्क की स्थापना की गई है। औद्योगिक क्षेत्र विक्रम उद्योगपुरी में मेडिकल डिवाईसेस उत्पादन इकाईयों को विभिन्न रियायतें प्रदान की जायेंगी। विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड, उज्जैन पर निवेशकों को भूमि विकास शुल्क लैण्ड प्रीमियम तथा लीजरेंट में दिये जाने वाली छूट के वित्तीय भार की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जायेगी।

5. **निवेश परियोजनाओं को भूमि आवंटन :-**

आलोच्य अवधि में विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में एवं अविकसित भूमि कुल **336** औद्योगिक इकाईयों को लगभग **1183** एकड़ हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई**,** जिसमें **रू**. **4986** करोड़ का पूंजी निवेश तथा लगभग **22440** व्यक्तियों को रोजगार संभावित है।

6. **औद्योगिक इकाईयों को वित्तीय सहायता :-**

वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 (01 अप्रैल 2022 से 31 दिसम्बर 2022 तक) में प्राप्त आवंटन के विरूद्ध किये गये वितरण एवं आलोच्य वर्ष में इकाईयों को उपलब्ध कराई वित्तीय सहायता की जानकारी :-

उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2022) में प्रावधानित सुविधा/सहायता अंतर्गत राशि रू 969.04 करोड़ एवं बी.ओ.आर.एल. (वर्तमान में बी.पी.सी.एल.बीना रिफायनरी) बीना जिला सागर को जमा वैट के विरूद्व ब्याज रहित रहित ऋण की राशि रू. 447.50 करोड़ इस प्रकार आलौच्य वर्ष 2022-23 (31 दिसम्बर 2022) में प्राप्त बजट आवंटन के विरूद्व कुल राशि रू. 1416.54 करोड़ की सहायता वितरित की गई है ।

7. **निर्यात संवर्धन :-**

प्रदेश में निर्यात संवर्धन ढांचे को मजबूत करने, निर्यातकों को प्रोत्साहित करने, प्रदेश के उत्पादों को विदेशी बाजारों तक पहुंचाने एवं निर्यात प्रोत्साहन के उद्देश्य से भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ निर्यातकों एवं उद्यमियों को हो सके। उक्त उददेश्यों की पूर्ति हेतु निम्नलिखित कार्य किये गये हैं:-

- एमपीआईडीसी एवं डीजीएफटी द्वारा 52 जिलों का डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान बनाया है, जिसमें जिलों की विस्तृत आर्थिक एवं निर्यात की जानकारी उपलब्ध है।
- 52 जिलों के निर्यात योजना तैयार कर ई-मेल के माध्यम से जिला कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रेषित की जा चुकी है।
- प्रदेश में ट्रेड प्रमोशन कॉउन्सिल का गठन किया गया है, जिसकी प्रथम बैठक 30.09.2022 को सम्पन्न हुई है।
- प्रदेश के 3 जिले (सीहोर, ग्वालियर एवं देवास) का चयन भारत सरकार द्वारा संचालित 'Districts as Export Hub' कार्यक्रम अंतर्गत किया गया है।
- प्रदेश के 31 जिलों में जिला निर्यात संवर्धन समिति के सहयोग से केपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप का आयोजन एमपीआईडीसी द्वारा किया गया।
- दिनांक 8-10 जनवरी 2023 को आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस एवं दिनांक 11-12 जनवरी 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 9500 डेलीगेट्स को ओडीओपी का डेलीगेट किट वितरण किया गया है।
- 'एक जिला एक उत्पाद' कार्यक्रम के तहत राज्य के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर बिक्री के लिए उत्पादों की पहचान की गई है। विभाग ने प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न ओडीओपी उत्पादों के कियोस्क स्थापित करने के लिए रेलवे जोनल कार्यालयों से भी अनुरोध किया है, जिसके लिए रतलाम, जबलपुर, शहडोल आदि में विभिन्न ओडीओपी कियोस्क पहले ही स्थापित किया जा चुका है ।

- सभी जिलाधिकारियों से औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा अनुरोध किया गया है कि सभी स्टेशनों में ओडीओपी उत्पादों के प्रचार-प्रसार के लिए मप्र के सभी स्टेशनों में ओडीओपी उत्पादों के कियोस्क लगाने के लिए वेंडर की पहचान की जा रही है ।
- ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 अंतर्गत दिनांक 11.01.2023 तथा 12.01.2023 को इंदौर में बायर सैलर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित प्रदेश के 2000 से अधिक सैलर्स सम्मिलित हुये एवं 350 से अधिक विदेशी बायर्स के साथ 2500 से अधिक बी2बी मीटिंग्स सम्पन्न हुई।
- प्रदेश के ओडीओपी उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिये समिट में उत्पादों की प्रदर्शिनी लगाई गई।
- ओडीओपी अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में भारत के प्रमुख विभिन्न शहरों जैसे मुम्बई, नई दिल्ली, पुणे एवं बैंगलोर आदि में 17 कार्यक्रम (रोड-शो) का आयोजन किया गया।
- "प्रदेश में चयनित ओडीओपी उत्पादों को भारतीय एवं विदेशी बाजारों तक पहुंचाने के उददे्श्य से दिनांक 24.03.2022 को एमपीआईडीसी तथा eBay India, Flipkart Group, EEPC India के मध्य एमओयू हस्ताक्षर किये गये। इसी क्रम में दिनांक 04.11.2022 को MPIDC एवं FIEO के मध्य एमओयू हस्ताक्षर किये गये।
- उल्लेखनीय है कि प्रदेश में चयनित ओडीओपी उत्पादों को भारतीय एवं विदेशी बाजारों तक पहुंचाने के उददे्श्य से दिनांक 12.01.2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 आयोजन के दौरान इंदौर में एमपीआईडीसी द्वारा 40 एमओयू (बाईलेटरल चेम्बर्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉउन्सिल एवं विभिन्न संगठनों आदि) के साथ हस्ताक्षर किये गये।

8. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR-Corporate Social Responsibility) –

मध्यप्रदेश में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) की गतिविधिया की फेसिलिटेट करने एवं उनके क्रियान्वयन को सुव्यवस्थित करने के उददेश्य से कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व प्रकोष्ठ का किया गया है, जिसके राज्य नोडल अधिकारी प्रबंध संचालक एमपी आईडीसी लि भोपाल है। सीएसआर के फेसिलिटेशन के संबंध में स्टेट नोडल एजेंसी एमपी आईडीसी लि द्वारा एमपी एसईडीसी के माध्यम से एमपीसीएसआर वेब पोर्टल http:/www.esr.mp.gov.in विकसित की गई है। इस वेबसाईट पर विभागवार एवं जिलावार शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट प्रदर्शित है। कंपनी इन शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में से उसकी इच्छानुसार प्रोजेक्ट का चयन कर सकेगी। कंपनियों के उपर यह बंधन नहीं है कि वह इसी प्रोजेक्ट में से कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व में कार्य करे। परंतु मध्यप्रदेश शासन के स्वामित्व की कंपनियों के लिये बधनकारी होगा कि वेबसाईट पर प्रदर्शित परियोजनाओं को ही सीएसआर अंतर्गत ले सकेंगे।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के फेसिलिटेशन हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 28.03.2022 को आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों एवं जिला कार्यालयो द्वारा अपलोड किए गए 82 प्रोजेक्टस की जानकारी से समिति को अवगत कराया गया व जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित सीएसआर कार्यों की सूची वेबपोर्टल पर प्रदर्शित करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही समिति द्वारा समस्त विभाग प्रमुखों एवं जिला कलेक्टरों को अभिनव एवं गुणवत्ता पूर्ण परियोजनायें तैयार कर सीएसआर वेबपोर्टल पर प्रदर्शित करने हेतु परामर्श दिया गया। वर्तमान में सीएसआर पोर्टल पर कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के चयन एव कियान्वयन हेतु 225 प्रोजेक्ट प्रदर्शित है।

9. <u>निगम की वित्तीय स्थिति</u> :-

(i) प्रदत्त पूजी रू. 80.25 लाख (समस्त पूजी राज्य शासन द्वारा वैष्ठित है)

(i) अधिकृत पूँजी रू. 13,500.00 लाख (समता अंश रू. 13,475.00 लाख पूर्वाधिकार अंश रू. 25.00 लाख)

(iii) संचित कोष रू. 14592.16 लाख (31 मार्च 2022 की स्थिति में)

10. लेखा अंकेक्षण की स्थिति:-

वित्तीय वर्ष 2019-20 के खातों का महालेखाकार कार्यालय, भोपाल द्वारा अंकेक्षण पूर्ण किया जा चुका है। महालेखाकार कार्यालय को प्रबंधन का उत्तर प्रेषित किया गया है। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन महालेखाकार कार्यालय से प्रतिक्षित है। वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के स्टैडअलोन वित्तीय विवरणों का सांविधिक अंकेक्षण पूर्ण हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

11. महत्वपूर्ण सांख्यिकी :-

एम.पी. इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. के क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा एवं ग्वालियर अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों की जानकारी (31.12.2022 की स्थिति में) –

➢ **एमपीआईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल अंतर्गत विकसित औद्योगिक क्षेत्रों की जानकारी -**

क्रं	विकसित औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	आवंटन योग्य भूमि	आवंटित भूमि	रिक्त भूमि
			क्षेत्रफल (हेक्टे.में)	क्षेत्रफल (हे क्टे. में)	क्षेत्रफल (हेक्टे. में)
1.	मण्डीदीप, जिला-रायसेन	1102.09	834.50	833.33	1.17
2.	पीलूखेडी, जिला-राजगढ़	228.00	195.96	170.30	25.66
3.	फूडपार्क बाबई-पिपरिया, जिला-होशंगाबाद	26.61	12.99	9.14	3.85
4.	जम्बार बागरी, जिला-विदिशा	84.31	43.76	6.44	37.32
5.	बगरौदा, जिला-भोपाल	128.02	72.20	72.20	0.00
6.	अचारपुरा, जिला-भोपाल	146.34	81.26	46.31	34.95
7.	कीरतपुर, जिला-होशंगाबाद	98.05	33.87	11.70	22.17
8.	मोहासा-बाबई, जिला-होशंगाबाद	587.45	414.79	49.99	364.80
9.	बड़ियाखेडी, जिला-सीहोर	117.76	76.23	39.37	36.86
10.	आई.आई.डी बीना, जिला-सागर	41.50	20.84	10.81	10.3

क्रं	विकसित औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	आवंटन योग्य भूमि	आवंटित भूमि	रिक्त भूमि
			क्षेत्रफल (हेक्टे.में)	क्षेत्रफल (हे क्टे. में)	क्षेत्रफल (हेक्टे. में)
11.	सिद्धगुवां, जिला-सागर	122.000	67.58	48.72	18.86
12.	प्लास्टिक पार्क तामोट, रायसेन	49.33	33.72	2.74	30.98
13	टेक्सटाईल अचारपुरा, भोपाल	44.00	25.13	1.96	23.17
	कुल	**2775.46**	**1912.83**	**1303.01**	**609.82**

- **एमपीआईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर अंतर्गत विकसित औद्योगिक क्षेत्रों की जानकारी -**

क्रं	विकसित औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	आवंटन योग्य भूमि	आवंटित भूमि	रिक्त भूमि
			क्षेत्रफल (हेक्टे.में)	क्षेत्रफल (हेक्टे.में)	क्षेत्रफल (हेक्टेमें)
1.	औ. क्षेत्र सीतापुर फेस –I सीतापुर फेस –II	209.95	141.92	34.18	107.74
2.	औ. क्षेत्र _ पिपरसेवा	66.27	40.05	6.58	33.47
3.	औ. क्षेत्र _ रेडीमेड गारमेंट पार्क	19.99	11.31	4.79	6.52
4.	फूड क्लस्टर बडौदी	14.77	6.87	6.87	0.0
5	औ. क्षेत्र _ बानमौर	273.68	229.68	229.68	0.0
6.	औ. क्षेत्र _ प्रतापपुरा	27.34	19.46	19.46	0.0
7.	आईआईडी प्रतापपुरा	21.01	11.08	11.08	0.0
8.	आईआईडी जड़ेरूआँ	28.14	17.02	13.05	3.97
9.	औ. क्षेत्र _ मालनपुर-घिरौंगी	1312.14	918.19	852.82	66.40

10	औ. क्षेत्र _ फूडपार्क मालनपुर	28.19	17.25	10.78	65.37
11	औ. क्षेत्र स्टोन पार्क ग्वालियर	37.63	14.63	14.63	0.0
12	प्लास्टिक पार्क बिलौआ ग्वालियर	37.63	24.91	0.50	24.41
	कुल योग	**2076.74**	**1452.37**	**1204.42**	**247.95**

- **एमपीआईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर अंतर्गत विकसित औद्योगिक क्षेत्रों की जानकारी -**

क्रं.	विकसित औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल भूमि (हेक्टेयर में)	आवंटन योग्य भूमि	आवंटित भूमि	रिक्त भूमि
			क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर 1 एवं 2	793.91	447.73	447.73	0.000
2	औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर 3 एवं 4 (खेड़ा)	1420.47	997.86	997.86	0.000
3	औ.क्षेत्र एस.ई.झेड़ फेस-1 एवं 2 पीथमपुर, धार	569.33	411.26	362.15	49.11
4	एफ.पी.पी. एवं आई.आई.डी.सी. निमरानी, खरगोन	101.20	61.72	51.61	10.11
5	मेघनगर, झाबुआ	223.75	129.33	124.07	5.26
6	रेडीमेड काम्पलेक्स जिला-इन्दौर	16.27	10.69	10.69	0.00
7	इलेक्ट्रानिक्स काम्पलेक्स, इन्दौर	18.68	12.44	12.44	0.000
8	रंगवासा-राऊ, जिला-इन्दौर	9.04	5.89	5.89	0.000
9	सोनवाय भैंसलाय जिला-इन्दौर	65.24	50.82	50.82	0.000
10	रूद्धी भावसिंहपुरा जिला-खण्डवा	148.74	87.21	3.08	84.13
11	रेल्वाखुर्द खजूरी, जिला-बड़वानी	40.46	28.48	20.50	7.98
12	नमकीन क्लस्टर, जिला-इन्दौर	5.13	2.88	2.88	0.00
13	उज्जैनी जिला-धार	58.42	45.86	18.69	27.17
14	औद्योगिक क्षेत्र बिजेपुर, जिला-इन्दौर	36.78	24.24	20.58	3.66
15	डिनोटी फाईड एरिया एसईजेड-2 जिला-धार	22.961	17.869	17.869	0.000
16	पीथमपुर सेक्टर-5(I) जिला धार	22.96	17.65	16.26	1.39
17	स्मार्ट इण्डस्ट्रीयल पार्क,	478.31	328.94	300.56	28.38

क्रं.	विकसित औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल भूमि (हेक्टेयर में)	आवंटन योग्य भूमि	आवंटित भूमि	रिक्त भूमि
			क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
	पीथमपुर, (नेट्रीप) जिला-धार				
18	देवास-2 एवं देवास-3जिला-देवास	296.93	215.34	215.34	0.00
19	मक्सी, जिला शाजापुर	89.17	82.68	82.68	0.000
20	आई.आई.डी.सी. जग्गाखेड़ी जिला-मंदसौर	20.24	9.91	9.91	0.00
21	एफ.पी.पी. जग्गाखेड़ी जिला-मंदसौर	20.65	12.08	12.08	0.00
22	करमदी नमकीन क्लस्टर, जिला-रतलाम	18.41	9.88	5.96	3.92
23	नेमावर जिला-देवास	40.00	24.36	2.10	22.26
24	ताजपुर जिला-उज्जैन	82.84	47.08	2.89	44.19
25	सिरसोदा जिला-देवास	49.56	30.26	0.31	29.95
26	झांझरवाड़ा जिला-नीमच	85.96	51.72	11.41	40.31
27	क्रिस्टल आई.टी. पार्क, इन्दौर	5.15	4.66	4.66	0.00
28	अतुल्य आई.टी. पार्क, इन्दौर	1.99	0.98	0.93	0.05
29	विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन	458.60	366.11	101.37	264.74
30	कन्फेक्शनरी पार्क इंदौर	28.65	17.96	13.49	4.47
31	जैतापुर पलासिया, धार	200.86	141.62	25.26	116.36
32	कसारबर्डी, झाबआ	71.75	39.20	0.0	39.20
	कुल	**5502.411**	**3734.709**	**2952.069**	**782.64**

नोट:-

1. **जिन भूखण्डों में केवल एल ओ आई जारी की गई है परन्तु जिनका आवंटन आदेश जारी नहीं हुआ है, उन भूखण्डों को रिक्त की सूची में रखा गया है।**
2. **एक इकाई द्वारा लिए गये एक से अधिक भूखण्डों को वास्तविक भूखण्डों की संख्या के अनुसार दर्शाया गया है।**

- **एमपीआईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर अंतर्गत विकसित औद्योगिक क्षेत्रों की जानकारी -**

क्रं	विकसित औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल भूमि	आवंटन योग्य भूमि	आवंटित भूमि	रिक्त भूमि
1	औद्योगिक विकास केन्द्र बोरगांव, जिला छिंदवाड़ा	250.43	165.91	157.12	8.79
2	औद्योगिक विकास केन्द्र बोरगांव (विस्तार), छिंदवाड़ा	34.73	22.23	14.39	7.84
3	फूडपार्क बोरगांव, जिला छिंदवाड़ा	21.46	12.89	12.89	0
4	औद्योगिक क्षेत्र लहगडुआ, जिला छिंदवाड़ा	35.04	24.51	3.63	20.88
5	औद्योगिक क्षेत्र भुरकलखापा, जिला सिवनी	60.78	16.71	10.47	6.24

6	औद्योगिक विकास केन्द्र मनेरी, जिला मण्डला	486.91	187.37	145.00	42.37
7	फूडपार्क मनेरी, जिला मण्डला	30.35	14.05	10.03	4.02
8	औद्योगिक क्षेत्र उमरिया-डुंगरिया फेस-। जिला जबलपुर	60.00	19.99	18.78	1.21
9	औद्योगिक क्षेत्र उमरिया-डुंगरिया फेस ।।, जिला जबलपुर	63.05	29.39	25.09	4.30
10	औद्योगिक क्षेत्र हरगढ़, जिला जबलपुर	271.84	84.03	39.14	44.89
11	आईआईडीसी लमतरा, जिला कटनी	26.9	14.74	14.74	0.00
12	औद्योगिक क्षेत्र लमतरा, जिला कटनी	46.1	32.00	31.30	0.70
13	औद्योगिक क्षेत्र अमकुही, जिला कटनी	60.00	21.13	20.03	1.10
14	स्टोनपार्क हरदुआ-खुड़ावल, जिला कटनी	39.92	10.38	4.40	5.98
15	उद्योगगिरी पुरैना, जिला पन्ना	105.5	61.28	47.99	13.29
	कुल	**1593.01**	**716.61**	**555.00**	**161.61**

- **एमपीआईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय रीवा अंतर्गत विकसित औद्योगिक क्षेत्रों की जानकारी -**

क्रं	**विकसित औद्योगिक क्षेत्र का नाम**	**कुल भूमि (हेक्टे. में)**	**आवंटन योग्य भूमि**	**आवंटित भूमि**	**रिक्त भूमि**
			क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	**क्षेत्रफल (हेक्टे. में)**	**क्षेत्रफल (हेक्टे.में)**
1.	औ. क्षेत्र उद्योग विहार, रीवा	134.91	90.48	90.48	0.00
2.	उद्योग धाम मैहर, जिला सतना	34.26	20.61	14.93	5.68
3.	उद्योग द्वीप बैढन जिला सिंगरौली (प्रथम एवं द्वितीय चरण)	49.21	30.41	28.20	2.21
4.	आई.आई डी.सी. नादन टोला अमरपाटन जिला सतना	38.90	23.17	0.35	22.82
	कुल	**257.28**	**164.67**	**133.96**	**30.71**

- **एमपीआईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं रीवा अंतर्गत विकासाधीन औद्योगिक क्षेत्रों की जानकारी -**

क्रं	विकासाधीन औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	आवंटन योग्य भूमि	आवंटित भूमि	रिक्त भूमि
			क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	क्षेत्रफल (हेक्टे. में)
1	बैरसिया, भोपाल	33.61	18.51.	0.00	18.51
2	आष्टा-झिलेला, सीहोर	214.53	167.80	0.00	167.80
3	बगरोदा-गोकलाकुंडी, भोपाल	44.91	30.93	0.00	30.93
4	बड़ियाखेड़ी, सीहोर	51.21	33.72	0.00	33.72
5	इंटीग्रेटेड इण्डस्ट्रीयल एरिया पीथमपुर 05 फेस 1, धार	63.62	42.05	34.99	7.06
6	मोहना, इंदौर	118.84	79.23	0.00	79.23
7	पीथमपुर 7, धार	610.00	446.95	0.00	446.95
8	पार्क जावरा, रतलाम	34.31	21.86	0.92	20.94
9	रेहटा-खड़कोद, बुरहानपुर	31.98	24.08	3.84	20.24
10	मेगा इण्डस्ट्रीयल पार्क, रतलाम फेस-1	1466.68	901.24	0.00	901.24
11	हातोद, धार	152.42	98.75	1.10	97.65
12	इंटीग्रेटेड इण्डस्ट्रीयल पार्क पीथमपुर-06	82.42	54.68	52.50	2.17
13	इण्डस्ट्रीयल पार्क, रतलाम	19.84	12.80	1.66	11.14
14	धार, तिलगारा	150.45	109.16	0.00	109.16
15	कटनी	13.32	10.57	3.46	7.11
16	नरसिंहपुर	132.58	90.31	0	90.31
17	बाबूपुर, सतना	26.19	15.63	0	15.63

क्रं	विकासाधीन औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	आवंटन योग्य भूमि	आवंटित भूमि	रिक्त भूमि
			क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	क्षेत्रफल (हेक्टे. में)
18	उद्योगद्वीप बैढ़न फेस-3, सिंगरौली	32.34	25.02	0.24	24.78
19	गुढ, रीवा	45.03	29.06	2.26	26.80
	कुल	**3324.28**	**2212.35**	**100.97**	**2111.37**

➢ **एमपीआईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के अधीन अविकसित भूमि की जानकारी -**

क्रमांक	अविकसित भूमि स्थान/ग्राम का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	आवंटित भूमि क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	रिक्त भूमि क्षेत्रफल (हेक्टे. में)
1	अचारपुरा, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल	3.188	0.000	3.188
2	बैरागढ़ कलां, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल	29.132	0.000	29.132
3	हिनोती सड़क, तहसील-बैरसिया, जिला-भोपाल	9.170	0.000	9.170
4	कल्याणपुर, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल	7.000	7.000	0.000 (मेसर्स वियांड टस्ट को 7.000 हैक्ट. भूमि आवंटित)
5	करारिया, तहसील-बैरसिया, जिला-भोपाल	7.023	0.000	7.023
6	कोलुआकलां, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल	47.620	0.000	47.620
7	नरेला शंकरी, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल	9.530	0.000	9.530
8	पातालपुर वीरन, तहसील-बैरसिया, जिला-भोपाल	26.590	0.000	26.590
9	पिपलनेर, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल	4.856	0.000	4.856
10	आरी, तहसील-बाबई, जिला-नर्मदापुरम	252.680	0.000	252.680
11	बागलोन, तहसील-बाबई, जिला-नर्मदापुरम	16.223	0.000	16.223
12	बजरवाड़ा, तहसील-बाबई, जिला-नर्मदापुरम	149.671	0.000	149.671

क्रमांक	अविकसित भूमि स्थान/ग्राम का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	आवंटित भूमि क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	रिक्त भूमि क्षेत्रफल (हेक्टे. में)
13	डोलरिया, तहसील-डोलरिया, जिला-नर्मदापुरम	16.187	0.000	16.187
14	कीरतपुर, तहसील-इटारसी, जिला-नर्मदापुरम	36.430	8.069	28.361 (मेसर्स एक्सप्रेस न्यूटीशन्स को 8.069 हैक्ट. भूमि आवंटित)
15	बीलखेड़ी, तहसील-गोहरगंज, जिला-रायसेन	51.123	0.000	51.123
16	गोकलाकुंडी, तहसील-गोहरगंज, जिला-रायसेन	32.592	0.000	32.592
17	जमुनिया-खेजड़ा, तहसील-रायसेन, जिला-रायसेन	103.247	102.710	कुल 108.602 हैक्ट. में से आवंटन योग्य 103.247 हेक्ट. मे से 102.71 हैक्ट. भूमि विभिन्न इकाईयों को आवंटित शेष 0.537 हैक्ट.
18	पन्नेश्वर, तहसील-रायसेन, जिला-रायसेन	57.223	24.288	कुल 77.457 हैक्ट. में से 20.242 हैक्ट. मेसर्स टेनासिटी ग्लोबल प्रा.लि. एवं4.046 हैक्ट. मेसर्स भोजपुर स्टील को आवंटित। 20.234 हैक्ट. भूमि राजस्व विभाग हेतु वापिस ली गई। शेष 32.935 हेक्ट.
19	रसूलिया, तहसील-गोहरगंज, जिला-रायसेन	1.791	0.000	1.791
20	रोजडाचक, तहसील-गोहरगंज, जिला-रायसेन	10.530	0.000	10.530
21	तामोट, तहसील-गोहरगंज, जिला-रायसेन	47.019	0.000	47.019
22	आलमपुरा, तहसील-ब्यावरा, जिला-राजगढ	13.553	0.000	13.553
23	अर्जुनपुरा, तहसील-राजगढ, जिला-राजगढ	59.063	0.000	59.063
24	बांकपुरा, तहसील-ब्यावरा, जिला-राजगढ	40.195	0.000	40.195
25	बापची, तहसील-राजगढ, जिला-राजगढ	2.525	0.000	2.525
26	चंदेरी, तहसील-ब्यावरा, जिला-राजगढ	53.956	0.000	53.956

क्रमांक	अविकसित भूमि स्थान/ग्राम का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	आवंटित भूमि क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	रिक्त भूमि क्षेत्रफल (हेक्टे. में)
27	दलेलपुरा, तहसील-राजगढ, जिला-राजगढ	79.759	0.000	79.759
28	दिलवारी, तहसील-राजगढ, जिला-राजगढ	66.817	0.000	66.817
29	डोबडा, तहसील-ब्यावरा, जिला-राजगढ	89.319	0.000	89.319
30	गुलजारपुरा, तहसील-सुठालिया, जिला-राजगढ	26.833	0.000	26.833
31	जगन्यापुरा, तहसील-राजगढ, जिला-राजगढ	84.964	0.000	84.964
32	जोगिदाता, तहसील-राजगढ, जिला-राजगढ	5.015	0.000	5.015
33	काचरी, तहसील-राजगढ, जिला-राजगढ	26.017	0.000	26.017
34	कड़िया, तहसील-सुठालिया, जिला-राजगढ	109.878	0.000	109.878
35	काला कोट, तहसील-ब्यावरा, जिला-राजगढ	21.274	0.000	21.274
36	कालीकराड, तहसील-सुठालिया, जिला-राजगढ	94.666	0.000	94.666
37	कांदियाखेडी, तहसील-सुठालिया, जिला-राजगढ	117.940	0.000	117.940
38	कसोर कलां, तहसील-ब्यावरा, जिला-राजगढ	24.811	0.000	24.811
39	कस्तूरीपुरा, तहसील-राजगढ, जिला-राजगढ	15.651	0.000	15.651
40	केशरपुरा, तहसील-राजगढ, जिला-राजगढ	0.137	0.000	0.137
41	लालपुरिया, तहसील-सुठालिया, जिला-राजगढ	90.730	0.000	90.730
42	नाईपुरिया, तहसील-राजगढ, जिला-राजगढ	32.540	0.000	32.540
43	पालाबे, तहसील-ब्यावरा, जिला-राजगढ	54.557	0.000	54.557
44	प्रेमपुरा, तहसील-खिलचीपुर, जिला-राजगढ	51.419	0.000	51.419
45	पिपलदा, तहसील-जीरापुर, जिला-राजगढ	40.000	0.000	40.000

क्रमांक	अविकसित भूमि स्थान/ग्राम का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	आवंटित भूमि क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	रिक्त भूमि क्षेत्रफल (हेक्टे. में)
46	रतनपुरिया, तहसील-ब्यावरा, जिला-राजगढ	62.598	0.000	62.598
47	सेमली, तहसील-ब्यावरा, जिला-राजगढ	90.035	0.000	90.035
48	बेलाई, तहसील-बीना, जिला-सागर	40.000	0.000	40.000
49	छेवला, तहसील-देवरी, जिला-सागर	158.580	0.000	158.580
50	दलपतपुर, तहसील-केसरी-जिला-सागर	27.220	0.000	27.220
51	देवल, तहसील-बीना, जिला-सागर	167.330	0.000	167.330
52	गढ़पहरामुहाल, तहसील-सागर, जिला-सागर	140.690	0.000	140.690
53	करमपुर, तहसील-खुरई, जिला-सागर	60.000	0.000	60.000
54	मसवासी ग्रांट, तहसील-बीना, जिला-सागर	200.000	0.000	200.000
55	सोरई, तहसील-बंडा, जिला-सागर	91.500	0.000	91.500
56	लखाहर, तहसील-बीना, जिला-सागर	11.350	0.000	11.350
57	देहरी, तहसील-बीना, जिला-सागर	10.970	0.000	10.970
58	अमीपुर, तहसील-आष्टा, जिला-सीहोर	124.276	0.000	124.276
59	बागेर, तहसील-आष्टा, जिला-सीहोर	151.288	0.000	151.288
60	बापचा, तहसील-आष्टा, जिला-सीहोर	37.405	0.000	37.405
61	बैजनाथ, तहसील-आष्टा, जिला-सीहोर	66.164	0.000	66.164
62	चंदेरी, तहसील-सीहोर, जिला-सीहोर	49.785	0.000	49.785
63	गवाखेड़ा, तहसील-आष्टा, जिला-सीहोर	88.566	0.000	88.566
64	गुराडीया रूपचंद, तहसील-आष्टा, जिला-सीहोर	132.507	0.000	132.507
65	झिलेला, तहसील-आष्टा, जिला-सीहोर	214.347	0.000	214.347

क्रमांक	अविकसित भूमि स्थान/ग्राम का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	आवंटित भूमि क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	रिक्त भूमि क्षेत्रफल (हेक्टे. में)
66	मुबारकपुर, तहसील-आष्टा, जिला-सीहोर	12.436	0.000	12.436
67	मुल्लानी-मंगलपुर, तहसील-आष्टा, जिला-सीहोर	196.711	0.000	196.711
68	सेवदा, तहसील-आष्टा, जिला-सीहोर	43.827	0.000	43.827
69	शेरपुर, तहसील-सीहोर, जिला-सीहोर	4.694	0.000	4.694
70	सीलखेडा, तहसील-सीहोर, जिला-सीहोर	64.104	0.000	64.104
71	टिटोरिया, तहसील-आष्टा, जिला-सीहोर	20.224	0.000	20.224
72	बांसापुर, तहसील-बुधनी, जिला-सीहोर	7.547	7.547	0.000 मेसर्स विहान इन्टरप्रायजेस को 7.547 हैक्ट. भूमि आवंटित
73	जर्रापुर, तहसील-बुधनी, जिला-सीहोर	13.278	13.278	0.000 मेसर्स विहान इन्टरप्रायजेस को 13.278 हैक्ट. भूमि आवंटित
74	पैराखेड़ी, तहसील-कुरवाई, जिला-विदिशा	29.211	0.000	29.211
75	रूसिया, तहसील-कुरवाई, जिला-विदिशा	106.006	0.000	106.006
कुल योग		**4543.093**	**162.892**	**4380.201**

➢ **एमपीआईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर के अधीन अविकसित भूमि की जानकारी -**

क्रं	अविकसित भूमि स्थान/ग्राम का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	आवंटित भूमि	रिक्त भूमि
			क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	क्षेत्रफल(हेक्टेयर में)
1	मोहना जिला ग्वालियर	210.248	--	210.248
2	ग्राम सिमरिया ताल, डबरा जिला ग्वालियर	20.769	--	20.769
3	ग्राम डेहरवारा, कोलारस जिला शिवपुरी	77.07	--	77.07
4	ग्राम गुरावल जिला शिवपुरी	30.64	--	30.64
5	ग्राम परीक्षा किरार पोहरी जिला शिवपुरी	43.84 14.33	--	43.84 14.33
6	ग्राम परीक्षा अहीर पोहरी जिला	25.30	--	25.30

क्रं	अविकसित भूमि स्थान/ग्राम का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	आवंटित भूमि	रिक्त भूमि
			क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	क्षेत्रफल(हेक्टेयर में)
	शिवपुरी	26.76		26.76
7	बैराड ग्राम कालामढ जिला शिवपुरी	81.11	--	81.11
8	चैनपुरा जिला गुना	333.98	--	333.98
9	सकतपुरा जिला गुना	80.00	--	80.00
10	ग्राम पिपरोदा खुर्द जिला गुना	37.229	--	37.229
11	ग्राम ढढारी जिला छतरपुर	30.85	--	30.85
12	बवेडी जंगल तहसील ओरछा जिला निवाडी	14.144	--	14.144
13	ग्राम बरही जिला भिण्ड	45.84	--	45.84
14	मुरैना लोहागढ	12.27	--	12.27
15	ग्वालियर साँखनी भितरवार	15.693	-	15.693
16	इंदरगढ जिला दतिया	48.172	47.6447	0.5273
17	पपावनी खास तह. पृथ्वीपुर जिला निवाडी	56.946	-	56.946
18	सुनरईभाटा तह. पृथ्वीपुर जिला निवाडी	60.975	-	60.9754
19	सकेराभाटा तह. पृथ्वीपुर जिला निवाडी	27.943	-	27.943
योग		**1294.109**	**47.6447**	**1246.4643**

➢ एमपीआईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर के अधीन अविकसित भूमि की जानकारी :-

क्रं	अविकसित भूमि स्थान/ग्राम का नाम	कुल भूमि (हेक्टेयर में)	आवंटित भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	रिक्त भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	माचल, तहसील-देपालपुर, जिला-इन्दौर	62.376	23.344	39.032
2	चीराखान, तहसील-देपालपुर, इन्दौर	73.546	15.000	58.546
3	मोहना, तहसील-देपालपुर, जिला-इन्दौर	140.398	81.610	58.788
4	मल्टीप्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क, रंगवासा, तहसील-इन्दौर, जिला-इन्दौर	92.963	0.000	92.963
5	हरनियाखेड़ी, तहसील-महू, इन्दौर	2.104	0.000	2.104
6	जामुनिया जागीर, तहसील-महू, जिला-इन्दौर	9.930	0.000	9.930

क्रं	अविकसित भूमि स्थान/ग्राम का नाम	कुल भूमि (हेक्टेयर में)	आवंटित भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	रिक्त भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
7	जामठन, तहसील-रतलामनगर, जिला-रतलाम	2.150	0.000	2.150
8	जुलवानिया, तहसील-रतलामनगर, जिला-रतलाम	87.030	0.000	87.030
9	पलसोडी, तहसील-रतलामनगर, जिला-रतलाम	634.523	0.000	634.523
10	रामपुरिया, तहसील-रतलामनगर, जिला-रतलाम	5.900	0.000	5.900
11	बिबड़ोद, तहसील-रतलामनगर, जिला-रतलाम	708.380	0.000	708.380
12	सरवानीखुर्द, तहसील-रतलामनगर, जिला-रतलाम	28.660	0.000	28.660
13	जावरा, तहसील-जावरा, जिला-रतलाम	35.750	0.000	35.750
14	दोशीगांव, तहसील-रतलाम, जिला-रतलाम	19.840	0.000	19.840
15	कराडिया, तहसील-उज्जैन, जिला-उज्जैन	7.270	7.270	0.000
16	नागझिरी, तहसील-कोठीमहल, जिला-उज्जैन	0.729	0.729	0.000
17	बारान्दवा, तहसील-तराना, जिला-उज्जैन	55.860	0.000	55.860
18	कछनारिया, तहसील-नागदा, जिला-उज्जैन	117.000	0.000	117.000
19	भैंसोला, तहसील-बदनावर, जिला-धार	632.500	0.000	632.500
20	लोधीपुरा, तहसील-धर्मपुरी, जिला-धार	1.600	0.000	1.600
21	करोंडिया, तहसील-गंधवानी, जिला-धार	6.154	6.154	0.000
22	अन्तरसुमा, तहसील-गंधवानी, जिला-धार	9.212	9.212	0.000
23	खैरवास, तहसील-धार, जिला-धार	19.342	19.342	0.000
24	दोत्राय, तहसील-बदनावर, जिला-धार	291.896	40.000	251.896
25	तिलगारा, तहसील-बदनावर, धार	150.150	0.000	150.150
26	तारपुरा, तहसील-पीथमपुर, जिला-धार	0.000	0.000	0.000
27	छायन, तहसील-बदनावर, जिला-धार	52.278	0.000	52.278
28	छायन, तहसील-बदनावर, जिला-धार	81.534	0.000	81.534

क्रं	अविकसित भूमि स्थान/ग्राम का नाम	कुल भूमि (हेक्टेयर में)	आवंटित भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	रिक्त भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
29	खैरवास, तहसील-धार, जिला-धार	38.230	28.500	9.730
30	तिलगारा, तहसील-बदनावर, धार	150.150	0.000	150.150
31	तिलगारा, तहसील-बदनावर, धार	31.364	24.009	7.355
32	देदला, तहसील-धार, जिला-धार	37.414	0.000	37.414
33	डिगलाय, तहसील-धार, जिला-धार	6.405	0.000	6.405
34	खण्डवा, तहसील-धार, जिला-धार	41.838	0.000	41.838
35	बागवन्या, तहसील-धरमपुरी, जिला-धार	28.378	0.000	28.378
36	डोल, तहसील-धरमपुरी, जिला-धार	39.991	0.000	39.991
37	गावल्याबड़ी, तहसील-धरमपुरी, जिला-धार	31.317	0.000	31.317
38	कालीकिराय, तहसील-धरमपुरी, जिला-धार	40.403	0.000	40.403
39	कुण्डा, तहसील-धरमपुरी, जिला-धार	38.543	0.000	38.543
40	लालबाग, लोधीपुरा, तहसील-धरमपुरी, जिला-धार	203.872	153.000	50.872
41	तारपुरा, तहसील-धरमपुरी, जिला-धार	256.128	0.000	256.128
42	अहेरवास, तहसील-मनावर, जिला-धार	100.397	0.000	100.397
43	बसई, तहसील-सुवासरा, जिला-मंदसौर	178.830	0.000	178.830
44	देवपुरानगर, तहसील-सुवासरा, जिला-मंदसौर	60.643	0.000	60.643
45	हरिपुरा, तहसील-सुवासरा, जिला-मंदसौर	24.900	0.000	24.900
46	सेमलीखेड़ा, तहसील-सुवासरा, जिला-मंदसौर	80.260	0.000	80.260
47	भूकी, तहसील-मंदसौर, जिला-मंदसौर	30.270	0.000	30.270
48	ढिकोला, तहसील-मंदसौर, जिला-मंदसौर	57.640	0.000	57.640
49	सोनियाना, तहसील-जीरन, जिला-नीमच	39.080	23.820	15.260
50	बाहमनबर्डी, तहसील-नीमचनगर, जिला-नीमच	15.000	15.000	0.000
51	गोठा, तहसील-जावद, जिला-नीमच	12.800	8.000	4.800
52	मोरवन, तहसील-जावद, जिला-नीमच	50.160	0.000	50.160

क्रं	अविकसित भूमि स्थान/ग्राम का नाम	कुल भूमि (हेक्टेयर में)	आवंटित भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	रिक्त भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
53	खाटामा, तहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ	21.600	0.000	21.600
54	खवासा, तहसील-थांदला, जिला-झाबुआ	204.870	0.000	204.870
55	कुडियापाड़ा, देवगढ़, रतनाली, सागवा, तहसील-थांदला, जिला-झाबुआ	145.950	0.000	145.950
56	भदोनी, तहसील-शाजापुर, जिला-शाजापुर	32.620	0.000	32.620
57	खेरखड़ी, तहसील-शाजापुर, जिला-शाजापुर	4.200	0.000	4.200
58	बामनियाखेड़ी, तहसील-शाजापुर, जिला-शाजापुर	3.650	0.000	3.650
59	पोलायकलां, तहसील-पोलायकलां, जिला-शाजापुर	476.950	0.000	476.950
60	धोती, तहसील-आगर, जिला-आगरमालवा	25.710	0.000	25.710
61	कंकर, तहसील-आगर, जिला-आगरमालवा	2.060	0.000	2.060
62	पालाखेड़ी, तहसील-आगर, जिला-आगरमालवा	1.700	0.000	1.700
63	लालुखेड़ी, तहसील-नलखेड़ा, जिला-आगरमालवा	82.260	0.000	82.260
	योग:-	**5,924.658**	**454.990**	**5,469.668**

➢ एमपीआईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर के अधीन अविकसित भूमि की जानकारी

क्र.	अविकसित भूमि स्थान/ग्राम का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	आवंटित भूमि (हेक्टे. में)	रिक्त भूमि (हेक्टे. में)
1.	गाजनडोह, उमरेठ, छिंदवाड़ा	2.505	2.505	-
2.	सोनापीपरी, उमरेठ, छिंदवाड़ा	6.072	-	6.072
3.	खुनाझिरकला, मोहखेड़, छिंदवाड़ा	3.407	3.407	-
4.	डोमरी उमरेठ, छिंदवाड़ा	47.980	-	47.980
5.	भुरकलखापा, डुंगरिया, बिठली सिवनी,	533.956	43.494	490.462
6.	बोडूंदाकला, किरनापुर, बालाघाट	122.450	76.880	45.570
7.	चिकमारा, कटंगी, बालाघाट	5.850	-	5.850
8.	चावरपाठा, केसली, बडियाघाट, तेंदूखेड़ा, नरसिंहपुर	296.061	-	296.061

क्र.	अविकसित भूमि स्थान/ग्राम का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	आवंटित भूमि (हेक्टे. में)	रिक्त भूमि (हेक्टे. में)
9.	ऐंटाखेड़ा, जबलपुर	42.420	-	42.420
10.	खैरी, शहपुरा, जबलपुर	53.970	-	53.970
11.	धरमपुरा, सिहोरा, जबलपुर	11.670	-	11.670
12.	पाराखेड़ा, सिहोरा, जबलपुर	7.900	7.900	-
13.	बोहता, कैलवारा खुर्द, कटनी	73.490	8.000	65.490
14.	बण्डा, मुरवारा, कटनी	58.890	-	58.890
15.	देवरी हटाई, मुरवारा, कटनी	99.310	-	99.310
16.	सिमरा रीठी, कटनी	135.640	-	135.640
17.	तिहारी, स्लीमनाबाद, कटनी	64.830	-	64.830
18.	हरदुआ स्लीमनाबाद, कटनी	9.900	9.900	-
19.	विलायतकला, धरवारा बड़वारा, कटनी	49.765	-	49.765
20.	मुरवारी, टिकरिया बिजोरा, कुसमी, सुनतरा, हरदुआ, सनकुई ढीमरखेड़ा, कटनी	556.760	-	556.760
21.	करौंदी, ढीमरखेड़ा, कटनी	104.160	-	104.160
22.	पटटी, बिजौरा बड़वारा, कटनी	4.910	4.910	-
23.	रूपौंध, बछरवारा बड़वारा, कटनी	7.060	7.060	-
24.	अमेहटा, देवसरी विजयराघवगढ़, कटनी	3.060	3.060	-
25.	बिजौरी, महुना, नरसिंहगढ़ पथरिया, दमोह	302.800	302.800	-
26.	गिडन, सगोनी बटियागढ़, दमोह	324.384	-	324.384
27.	गैसाबाद हटा, दमोह	2.286	2.286	-
28.	हरदुवाकेन, सोतीपुरा अमानगंज, पन्ना	7.440	7.440	-
29.	देवरी, जिला बालाघाट	12.745	-	12.745
30.	गुडरूघाट, मिरगपुर, जिला बालाघाट	25.411	25.411	-
31.	खापा, वारासिवनी, जिला बालाघाट	11.356	11.356	-
32.	भीटा, तहसील शहपुरा, जिला जबलपुर	15.000	-	15.000
33.	टिकरिया, कटनी, कटनी	63.130	-	63.130
34.	देवसरी, मेहगांव, विजयराघवगढ़, कटनी	4.760	-	4.760
35.	बगडमारा, किरनापुर, बालाघाट	20.000	20.000	-

क्र.	अविकसित भूमि स्थान/ग्राम का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	आवंटित भूमि (हेक्टे. में)	रिक्त भूमि (हेक्टे. में)
36.	सरदा, सिहोरा, जबलपुर	18.000	-	18.000
37.	उमरिया-डुंगरिया, शहपुरा, जबलपुर	193.390	-	193.390
38.	अमकुही, कटनी, कटनी	30.000	-	30.000
39.	खुडावल, स्लीमनाबाद, कटनी	7.000	-	7.000
	कुल	**3339.718**	**536.409**	**2803.309**

- **एमपीआईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय रीवा के अधीन अविकसित भूमि की जानकारी**

क्रं	अविकसित भूमि स्थान/ग्राम का नाम	कुल भूमि (हेक्टे. में)	आवंटित भूमि	रिक्त भूमि
			क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	घुरेहटा, मऊगंज जिला रीवा	175.059	-	175.059
2	नया गांव जैतवारा जिला सतना	33.036	-	33.036
3	रघुराज नगर जिला सतना	40.173	-	40.173
4	पिडरताली जिला सिंगरौली	63.031	08	55.031
5	फुलवारी जिला सिंगरौली	60.34	-	60.34
6	वरगवॉ देवसर जिला सिंगरौली	48.169	10	38.169
7	गडेरिया जिला सिंगरौली	40.73	-	40.73
8	गिधेर, बडोखर भीखा झरिया	44.98	-	44.98
9	बाघाडीह जिला सिंगरौली	29.5	-	29.5
10	जलसार जिला अनूपपुर	116.53	-	116.53
11	दियापीपर जिला शहडोल	78.696	-	78.696
12	चुरहट जिला सीधी	14.095	14.095	-
कुल		**744.339**	**32.095**	**712.244**

भाग-दो

बजट विहंगावलोकन एवं योजनावार प्रावधान, लक्ष्य एवं व्यय

➢ कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश

शासन द्वारा आवंटित बजट में मितव्ययता बरती जाती है। कार्यालय के लिये बजट प्रावधान का विगत 05 वर्ष का आवंटन एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है :-

बजट वर्ष	आवंटन	व्यय
2018-2019	490.13 लाख	454.15 लाख
2019-2020	597.74 लाख	456.65 लाख
2020-2021	560.39 लाख	477.66 लाख
2021-2022	613.00 लाख	407.57 लाख
2022-23	652.58 लाख	410.15 लाख (दि.31/12/2022 की स्थिति में)

संचालित योजनायें :-

इस कार्यालय के अधीन कोई योजना का संचालन नहीं किए जाने से योजना बजट नहीं है। कार्यालय द्वारा योजनाओं का संचालन नहीं किए जाने से जेण्डर बजट का प्रावधान नहीं है ।

➢ संचालक, वाष्पयंत्र :-

बॉयलर संचालनालय के अंतर्गत कोई योजना एवं गतिविधि का संचालन नहीं किया जाता है । यह एक पूर्ण आयोजनेत्तर विभाग है। इस कार्यालय को प्राप्त होने वाला बजट पूर्णतः आयोजनेत्तर (Non plan) होता है। अधिकारियों /कर्मचारियों को भुगतान किये जाने वाले वेतन भत्तों के अतिरिक्त यात्रा देयक एवं कार्यालय के सामान्य व्यय के अतिरिक्त कोई मद पर व्यय नहीं किया जाता है ।

जेंडर बजट- निरंक

नवीन वाष्पयंत्रों के पंजीयन शुल्क, निरीक्षण शुल्क,परीक्षा शुल्क एवं फेब्रीकेशन शुल्क संचालनालय की आय के मुखय स्रोत है। चालू वितीय वर्ष (01.04.2022 से 31.12.2022 तक) में इस कार्यालय को प्राप्त चालानों के आधार पर आय व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	आय	व्यय	बचत
2022-2023 (दिसम्बर2022 तक)	2,48,24,970	91,65,274	1,56,59,696

संचालनालय द्वारा किसी प्रकार की योजना संचालित नहीं की जाती है। अतः योजनावार बजट निरंक है।

➢ **मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल**

निगम के वार्षिक लेखों से संबंधित जानकारी : -

- दिनांक 31.12.2022 की स्थिति में निगम की प्राधिकृत अंशपूंजी रूपये 85.00 करोड तथा प्रदत्त पूंजी रूपये 81.09 करोड थी। विगत तीन वर्षों के लिए अंकेक्षित एवं प्रावधिक लेखों के अनुसार निगम की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है :-

(राशि रूपये करोड में)

विवरण	वर्ष 2019-20 (प्रावधिक)	वर्ष 2020-21 (प्रावधिक)	वर्ष 2021-22 (प्रावधिक)
* लाभ /हानि	4.42	0.15	(0.89)

* यह आंकडे निवल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां के लिए संदिग्ध एवं डूबत ऋणों के प्रावधान के बाद के है।

एम.पी.इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशल लि. भोपाल

वर्ष 2022-23 के लिये मदवार प्रावधान/व्यय का विवरण

(राशि रूपये करोड़ में)

क्र.	बजट कोड	योजना का नाम	वार्षिक बजट प्रावधान	31 दिसम्बर, 2022 तक हुये आहरण/व्यय की जानकारी (प्रावधिक)
1	2123	निवेश प्रोत्साहन योजना 6856-पेट्रो केमिकल उद्योगों के लिये कर्ज (67-ऋण तथा अग्रिम) (बीओआरएल को ब्याज रहित ऋण)	250.00	200.00
2	2123	निवेश प्रोत्साहन योजना 44-राज सहायता, 008-अन्य राज सहायता	800.00	512.00
3	2123	निवेश प्रोत्साहन योजना 42-सहायक अनुदान, 007-अन्य	400.00	36.00
4	7879	औद्योगिकीकरण अधोसंरचना विकास, #64-वृहद निर्माण कार्य, 002-उपवृहद निर्माण कार्य	96.00	21.12
5	7879	औद्योगिकीकरण अधोसंरचना विकास, #64-वृहद निर्माण कार्य, 002-उपवृहद निर्माण (1901-पूंजीगत कार्यों हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता-(सामान्य)	234.24	स्पेशल असिसटेस टू स्टेट फॉर केपिटल इन्वेसटमेंट इन FY 2022-23केभाग 1 अंतर्गतस्वीकृतराशिरू 135.00एवं भाग 2 अंतर्गतआई.टी. पार्क-3 हेतु स्वीकृतराशि रू. 100.00 करोड़मे व्यय किया जयेगा।
6	7879	औद्योगिकीकरण अधोसंरचना विकास, #64-वृहद निर्माण कार्य, 002-उपवृहद निर्माण 1902-पूंजीगत कार्यों हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता-अनुसूचित जनजाति उपयोजना (सब स्कीम)	88.32	
7	7879	औद्योगिकीकरण अधोसंरचना विकास, #64-वृहद निर्माण कार्य, 002-उपवृहद निर्माण	61.44	

क्र.	बजट कोड	योजना का नाम	वार्षिक बजट प्रावधान	31 दिसम्बर, 2022 तक हुये आहरण/व्यय की जानकारी (प्रावधिक)
		1903-पूंजीगत कार्यों हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता-अनुसूचित जाति उपयोजना (सब स्कीम)		
8	6749	भू-अर्जन, सर्वे एवं डिमार्केशन, सर्विस चार्ज	120.00	90.00
9	5396	औद्योगिक क्षेत्र की भूमि के एवज में वृक्षारोपण हेतु सहायता	0.016	0.010
10	9842	औद्योगिक क्षेत्रों का लैंड पूलिंग योजना अंतर्गत विकास	95.00	76.00
11	5531	डेस्टिनेशन म.प्र. इनवेस्टमेंट ड्राईव 42-सहायक अनुदान 007-अन्य	18.00	13.00
12	7504	एम.आई.एस. प्रणाली के लिए एकल खिड़की की स्थापना	5.00	3.20
13	9538	निर्यात प्रोत्साहन योजना (0101-सामान्य) 42-सहायक अनुदान, 007 अन्य शर्त रहित अनुदान	6.10	-
14	9538	निर्यात प्रोत्साहन योजना 0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना (सब स्कीम) 42-सहायक अनुदान, 007 अन्य शर्त रहित अनुदान	2.30	-
15	9538	निर्यात प्रोत्साहन योजना 0103-अनुसूचित जाति उपयोजना (सब स्कीम) 42-सहायक अनुदान, 007 अन्य शर्त रहित अनुदान	1.60	-
16	9531	एक जिला एक उत्पाद की संचालन योजना 0101-सामान्य 44-राज सहायता, 007-व्यापार संरक्षण राज सहायता	6.10	-
17	9531	एक जिला एक उत्पाद की संचालन योजना 0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना (सब स्कीम) 44-राज सहायता, 007-व्यापार संरक्षण राज सहायता	2.30	-
18	9531	एक जिला एक उत्पाद की संचालन योजना 0103-अनुसूचित जाति उपयोजना (सब स्कीम) 44-राज सहायता, 007-व्यापार संरक्षण राज सहायता	1.60	-
कुल योग			**2188.016**	**951.33**

भाग–तीन

राज्य योजनाये एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

➢ **कार्यालय रजिस्ट्रार,फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश**

- राज्य योजनाऐं - निरंक
- केन्द्र प्रवर्तित योजनायें - निरंक
- विश्व बैंक के सहायता से चलाई जाने वाली योजनायें - निरंक
- विदेशी सहायता प्राप्त योजनायें/परियोजनायें - निरंक
- अन्य योजनायें - निरंक

➢ **संचालक, वाष्पयंत्र मध्यप्रदेश**

- राज्य योजनाएं - निरंक
- केन्द्र प्रवर्तित योजना - निरंक
- विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाए - निरंक
- विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं - निरंक
- अन्य योजनाएं - निरंक

➢ **एम.पी. इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.**

एमपीआईडीसी द्वारा क्रियान्वित की जा रही राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का क्षेत्रीय कार्यालयवार विवरण –

- **क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर.**

(राशि रूपये करोड़ में)

क्र.	केन्द्र/ राज्य प्रवर्तित योजना	योजना का नाम एवं स्थान	बजट आवंटन **(परियोजना लागत)**	वर्ष 2022-23 की स्थिति में व्यय	रिमार्क
1	राज्य प्रवर्तित योजना	औद्योगिक विकास केन्द्र बोरगांव जिला छिंदवाड़ा का उन्नयनीकरण	16.52	6.65	दिनांक 01.10.2021 को कार्यादेश दिया गया है। 30.01.2023 तक कार्य पूर्ण होना संभावित है।
2	राज्य प्रवर्तित योजना	औद्यागिक क्षेत्र लमतरा का उन्नयनीकरण	15.62	7.21	दिनांक 01.10.2021 को कार्यादेश दिया गया है।दिनांक 30.032023 तक कार्य पूर्ण होना संभावित है।
3	राज्य प्रवर्तित योजना	औद्योगिक विकास केन्द्र मनेरी जिला मंडला का	19.28	-	दिनांक 29.07.2022 को कार्यादेश दिया गया है।वर्तमान् में कार्य प्रगति पर है योजना दिनांक

क्र.	केन्द्र/ राज्य प्रवर्तित योजना	योजना का नाम एवं स्थान	बजट आवंटन **(परियोजना लागत)**	वर्ष 2022-23 की स्थिति में व्यय	रिमार्क
		उन्नयनीकरण			30.08.2023 तक कार्य पूर्ण होना संभावित है।
		योग	**51.42**	**13.86**	**-**

(राशि लाख में)

क्र.	**विवरण**	**वित्तीय वर्ष 2020-21**		**वित्तीय वर्ष 2021-22**		**वित्तीय वर्ष (01.04.2022 से 31.12.2023 तक)**	
		प्राप्त	**व्यय**	**प्राप्त**	**व्यय**	**प्राप्त**	**व्यय**
1.	राज्य योजना (डिपाजिट वर्क) मांग संख्या 4851 आयोजन	50.00	01.43	00.00	27.08	00.00	00.00
2.	केन्द्र प्रवर्तित योजना	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
3.	औद्योगिक क्षेत्र लहगडुआ जिला छिंदवाड़ा	00.00	413.00	00.00	00.00	00.00	00.00
4.	औद्योगिक विकास केन्द्र बोरगांव जिला छिंदवाड़ा (विस्तार)	0.00	1010.70	20.00	665.73	00.00	794.16
5.	औद्योगिक क्षेत्र, लमतरा	00.00	00.00	13.00	72.15	00.00	599.44
6.	विश्व बेंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं	Nil					

- **क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल**

(राशिरूपये करोड़ में)

क्रं.	**केन्द / राज्य प्रवर्तित योजना**	**योजना का नाम एवं स्थान**	**बजट आवंटन (परियोजना लागत)**	**01 अप्रैल 2022 से 31.12.2022 की स्थिति में व्यय**	**रिमार्क**
1.	राज्य प्रवर्तित	भोपाल (बगरौदा-गोकलाकुण्डी), जिला-रायसेन	32.08	-	दिनांक 14.10.2022 को कार्यादेश दिया गया है।
2.	राज्य प्रवर्तित	बडियाखेड़ी, जिला-सीहोर	27.81	-	दिनांक 29.09.2022 को कार्यादेश दिया गया है।

क्रं.	केन्द / राज्य प्रवर्तित योजना	योजना का नाम एवं स्थान	बजट आवंटन (परियोजना लागत)	01 अप्रैल 2022 से 31.12.2022 की स्थिति में व्यय	रिमार्क
3.	राज्य प्रवर्तित	बैरसिया, जिला-भोपाल	27.88	-	दिनांक 28.09.2022 को कार्यादेश दिया गया है।
4.	राज्य प्रवर्तित	आष्टा (झिलेला), जिला-सीहोर	99.43	-	दिनांक 15.09.2022 को कार्यादेश दिया गया है।
5.	राज्य प्रवर्तित	फूड पार्क बाबई, जिला-होशंगाबाद का उन्नयनीकरण	1.89	1.49	कार्य पूर्ण
6.	राज्य प्रवर्तित	सिद्धगवां, जिला-सागर का उन्नयनीकरण	12.00	-	दिनांक 20.10.2022 को कार्यादेश दिया गया है।
7.	राज्य प्रवर्तित	नौगांव बीना, जिला-सागर का उन्नयनीकरण	8.266	-	दिनांक 25.05.2022 को कार्यादेश दिया गया है।

- **क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर**

क्र.	कार्य का नाम	बजट वर्ष 2022-23 में प्राप्त राशि	बजट वर्ष 2022-23 में व्यय राशि	रिमार्क
1	नवीन औद्योगिक क्षेत्र जैतापुर पलासिया, जिला-धार में भू-अर्जन कार्य	-	-	-
2-	औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, जिला-धार निवेश क्षेत्र हेतु भू-अर्जन कार्य	52,25,00,000/-	25,82,25,952	भू-अर्जन मद में प्राप्त राशि से कृषकों को भुगतान किया गया। कार्य प्रगति पर है।
3-	औद्योगिक क्षेत्र मोहना, तहसील देपालपुर, जिला-इन्दौर में भू-अर्जन कार्य	56,22,388/-	-	-

(राशि रूपये करोड़ में)

क्र.	केन्द्र/राज्य प्रवर्तित योजनाएं	कार्य का नाम	बजट आवंटन (परियोजना लागत)	1 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर 2022 की स्थिति में व्यय	रिमार्क
1.	राज्य प्रवर्तित योजनाएं	नवीन बहु उत्पाद औद्योगिक क्षेत्र सह जेम्स एंड ज्वैलरी	103.25	4.63	भूमि अधिग्रहण संबंधित प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने से

क्र.	केन्द्र/राज्य प्रवर्तित योजनाएं	कार्य का नाम	बजट आवंटन (परियोजना लागत)	1 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर 2022 की स्थिति में व्यय	रिमार्क
		और आईटी पार्क, जिला-इन्दौर में अधोसंरचना विकास कार्य।			मात्र 28.65 हेक्टेअर भूमि को 31.93 करोड. की लागत से विकसित किया जा रहा है (80% कार्य पूर्ण)
2.	राज्य प्रवर्तित योजनाएं	नवीन औद्योगिक क्षेत्र जैतापुर पलासिया, जिला-धार में अधोसंरचना विकास कार्य	147.00	3.07	आदेश दिनांक 17.08.2016 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। (कार्य पूर्ण)
3.	राज्य प्रवर्तित योजना	नवीन औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर 5 पीथमपुर, जिला-धार में अधोसंरचना विकास कार्य	61.14	4.31	आदेश दिनांक 08.05.2018 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। (कार्य पूर्ण)
4.	राज्य प्रवर्तित योजना	धार(तिलगारा), जिला-धार में अधोसंरचना विकास कार्य	79.43	-	दिनांक 26.09.2022 को कार्यादेश दिया गया है।
5.	राज्य प्रवर्तित योजना	मेगा इंडस्ट्रीयल पार्क, रतलाम में अधोसंरचना विकास कार्य	462.00	-	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।
6.	राज्य प्रवर्तित योजना	देवास 2 एवं 3, जिला-देवास	15.80	3.92	दिनांक 07.09.2021 को कार्यादेश दिया गया है।
7.	राज्य प्रवर्तित योजना	पीथमपुर सेक्टर 1 एवं 2 तथा एस.ई.जेड (द्वितीय चरण), जिला-धार	19.28	3.55	दिनांक 25.08.2021 को कार्यादेश दिया गया है।
8.	राज्य प्रवर्तित योजना	जग्गाखेड़ी, जिला-मंदसौर	4.10	3.06	दिनांक 02.03.2022 को कार्यादेश दिया गया है।
9.	राज्य प्रवर्तित योजना	एस.ई.जेड. फेस-2, इंदौर	17.69	-	दिनांक 01.11.2022 को कार्यादेश दिया गया

क्र.	केन्द्र/राज्य प्रवर्तित योजनाएं	कार्य का नाम	बजट आवंटन (परियोजना लागत)	1 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर 2022 की स्थिति में व्यय	रिमार्क
					है।
10.	राज्यप्रवर्तित योजना	निमरानी, जिला-खरगौन	19.45	1.89	दिनांक 29.07.2022 को कार्यादेश दिया गया है।
11.	राज्य प्रवर्तित योजना	इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पलेक्स, इंदौर	3.86	-	दिनांक 24.05.2022 को कार्यादेश दिया गया है।
12.	राज्य प्रवर्तित योजना	रेडीमेट गारमेंट कॉम्पलेक्स, इंदौर	3.66	0.70	दिनांक 21.03.2022 को कार्यादेश दिया गया है।
13.	राज्य प्रवर्तित योजना	मक्सी, जिला-शाजापुर	16.66	-	दिनांक 20.10.2022 को कार्यादेश दिया गया है।
14.	केन्द्र प्रवर्तित योजना	मेडिकल डिवाईसेस पार्क	222.70	-	दिनांक 15.9.2022 को कार्यादेश दिया गया है।

- **क्षेत्रीय कार्यालय, रीवा**

क्र.	केन्द्र / राज्य प्रवर्तित योजनाये	योजना का नाम एवं स्थान	बजट आवंटन (परियोजना लागत)	1 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर2022 की स्थिति में व्यय व्यय	रिमार्क
1.	राज्य प्रवर्तित योजनाये	औद्योगिक क्षेत्र गुढ, जिला-रीवा प्रथम चरण	27.52	1.15	कार्यपूर्ण दिनांक 27-07-2022
2.		औद्योगिक क्षेत्र बाबूपुर, जिला-सतना	25.09	0.5	कार्यपूर्ण दिनांक 15-03-2022
3.		औ. क्षेत्र गुढ फेस – 2 भाग एक	11.45	-	दिनांक 05.12.2022 को कार्यादेश दिया गया है।कार्य प्रगति पर।
		कुल योग	**64.06**	**1.65**	-

- **क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर**

क्र.	केन्द्र/राज्य प्रवर्तित योजना	योजना का नाम एवं स्थान	बजट आवंटन	1 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर2022 की स्थिति में व्यय	रिमार्क
1.	राज्य प्रवर्तित योजना	सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी ग्वालियर के वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण कार्य।	850.00	141.92	कार्य प्रगति पर।
2.	केन्द्र/राज्य प्रविर्तित योजना	औद्योगिक क्षेत्र बिलौआ, जिला-ग्वालियर में प्लास्टिक पार्क की स्थापना कार्य।	2533.15	168.70	कार्य प्रगति पर।
3.	राज्य प्रवर्तित योजना	औद्योगिक क्षेत्र बानमोर, जिला-मुरैना में सडकों के उन्नयनीकरण का कार्य।	415.00	562.95	कार्य पूर्ण
4.	राज्य प्रवर्तित योजना	औद्योगिक क्षेत्र बानमोर, जिला-मुरैना में नाली के उन्नयनीकरण का कार्य ।	320.00	122.25	पूर्ण
5.	राज्य प्रवर्तित योजना	इन्क्यूबेशन सेंटर का विकास कार्य। (लैदर फैक्ट्री मुरार ग्वालियर)	15.00	8.66	कार्य पूर्ण
6.	राज्य प्रवर्तित योजना	औद्योगिक क्षेत्र प्रतापपुरा फेज-1 फेज-2 एवं आईआईडी प्रतापपुरा, जिला-निवाडी जलप्रदाय योजना का उन्नयनीकरण का कार्य।	415.00	251.21	कार्य प्रगति पर।
7.	राज्य प्रवर्तित योजना	मालनपुर-घिरौंगी में सुलभ शौचालयों का निर्माण कार्य।	86.51	80.20	कार्य प्रगति पर।
8.	राज्य प्रवर्तित योजना	सीतापुर में वृक्षारोपण का कार्य ।	90.00	33.56	कार्य प्रगति पर।
		कुल योग	**4724.66**	**1369.45**	

भाग –चार
सामान्य प्रशासनिक विषय

➢ **<u>कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश</u>**

- विशेष भर्ती अभियान के तहत बैकलाग पदों की पूर्ति की गई है।
- कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राज्य शासन के द्वारा जारी निर्देशों के पालन में समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया है। विभाग में पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई है, क्योंकि माननीय न्यायालय में प्रकरण के निराकरण होने तक विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है।
- कार्यालय के राजपत्रित अधिकारियों की दिनांक 01.04.2022 की स्थिति दर्शाने वाली पदक्रम सूची का प्रकाशन वर्ष 2022 में शासन द्वारा किया गया है। दिनांक 01.04.2022 की स्थिति में कार्यालय के तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदक्रम सूची का प्रकाशन वर्ष 2022 में किया गया है।
- कार्यालय में दिनांक 01.01.2023 की स्थिति में स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	रजिस्ट्रार	01	01	-
2	डिप्टी रजिस्ट्रार	03	-	03
3	असिस्टेंट रजिस्ट्रार	07	06	01
4	अधीक्षक	01	01	-
5	निरीक्षक	17	08	09
6	ऑडीटर	23	11	12
7	स्टेनोग्राफर	01	01	-
8	सहायक ग्रेड-एक	02	01	01
9	सहायक ग्रेड-दो	09	08	01
10	सहायक ग्रेड-तीन	10	06	04
11	स्टेनोटाईपिस्ट	01	01	-
12	डाटा एन्ट्री आपरेटर	09	-	09
13	वाहन चालक	01	01	-
14	दफ्तरी	01	01	-
15	भृत्य	09	05	04
16	प्रोसेस सर्वेन्ट	06	03	03
17	फर्राश	01	-	01
	योग	**102**	**54**	**48**

उपरोक्त 102 पदों में से शासन द्वारा कार्यालय के लिये वर्ष 2017-18 से 2 उप पंजीयक, 8 निरीक्षक, एवं 9 डाटाएन्ट्री आपरेटर के नये पद स्वीकृत किये हैं।

तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के डाटाएन्ट्री ऑपरेटर्स एवं सहायक ग्रेड-3 के पदों की भर्ती हेतु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं ।

पेंशन संबंधी जानकारी :-

कार्यालय के अधिकारियों/ कर्मचारियों की पेंशन से संबंधित कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है।

विभागीय जांच /अपील से संबंधित जानकारी:-

कार्यालय में दिनांक 31.12.2022 की स्थिति में विभागीय जांच/अपील की स्थिति निम्नानुसार है:-

विभागीय जांच अपील प्रकरण	कुल प्रकरण	लंबित प्रकरण
प्रथम श्रेणी	निरंक	निरंक
द्वितीय श्रेणी	निरंक	निरंक
तृतीय श्रेणी	निरंक	निरंक
चतुर्थ श्रेणी	निरंक	निरंक

न्यायालयीन प्रकरण से संबंधित जानकारी :-

इस कार्यालय में किसी भी शासकीय सेवक का न्यायालीन प्रकरण लंबित न होने से न्यायालीन प्रकरणों के संबंध में जानकारी निरंक है।

सूचना के अधिकार के अर्न्तगत जानकारी:-

सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरणों का नियमानुसार निराकरण किया जा रहा है।

- **<u>संचालक, वाष्पयंत्र मध्यप्रदेश</u>**

सेन्ट्रल बायलर्स बोर्ड :-

सेन्ट्रल बायलर्स बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) उद्योग भवन नई दिल्ली, बायलर अधिनियम 1923 एवं भारतीय बायलर विनियम 1950 के अनुरूप बॉयलर संचालनालय म0प्र0, भोपाल में कार्यरत है । सेन्ट्रल बॉयलर्स बोर्ड में संचालक वाष्पयंत्र मध्यप्रदेश राज्य के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होते हैं।

प्रतिवेदित अवधि में सेन्ट्रल बायलर बोर्ड की कोई बैठक सम्पन्न नही हुई ।

नियुक्तियॉ एवं पदोन्नतियां :-

प्रतिवेदित अवधि में बॉयलर संचालनालय, में कोई नियुक्ति नहीं हुई है। प्रतिवेदित अवधि में कोई पदोन्नति नहीं की गयी है ।

अभियोजनः-

सेवा निवृत्त सहायक वर्ग- तीन स्व. श्री व्ही.के.जैन, विरूद्ध म0प्र0शासन एक प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन है, जिसके प्रभारी अधिकारी श्री पुलकित तिवारी, निरीक्षक बायलर द्वितीय श्रेणी भोपाल है, श्री मनोज कल्याणे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एक प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में विचाराधीन है, जिसके प्रभारी अधिकारी श्री जी.पी.पटेल, संचालक बायलर भोपाल है एवं श्री जी.पी.पटेल विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एक प्रकरण उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन है, जिसके प्रभारी अधिकारी श्री तरूणकुमार कटारे विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग भोपाल है।

अपील :-

प्रतिवेदित अवधि में बायलर एक्ट 1923 की धारा 20 के प्रावधान में संचालक वाष्पयंत्र मध्यप्रदेश के किसी भी आदेश के विरूद्ध राज्य शासन को कोई अपील प्रेषित नहीं की गई।

बॉयलर चालन इंजीनियर्स परीक्षा :-

प्रतिवेदित अवधि में बॉयलर आपरेशन इंजीनियर्स नियम 2011 के अंतर्गत परीक्षा आयोजित नहीं की गई है।

बॉयलर अटेण्डेंट परीक्षा :-

प्रतिवेदित अवधि में बॉयलर अटेण्डेण्ट नियम, 2011 के अंतर्गत परीक्षा आयोजित नहीं की गई है।

वेल्डर परीक्षा :-

इंडियन बॉयलर रेग्यूलेशन 1950 के परिच्छेद 13 में दिये गये विवरण के अनुसार प्रतिवेदित अवधि में वेल्डर परफारमेंस की योग्यता के प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये गये है। अन्य राज्यों से जारी 76 वेल्डर प्रमाण पत्रों को म.प्र. राज्य में वैद्यता हेतु पृष्ठांकित किया गया है ।

➢ **<u>एम.पी. स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशल लि., भोपाल</u>**

(i) मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल (एमपीएसआईडीसी) पूर्व में मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, मध्यप्रदेश के उद्योग, वाणिज्य और रोजगार विभाग (वर्तमान नाम औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग) के अंतर्गत शासन का एक उपक्रम है, जिसका मुख्य ध्येय प्रदेश में स्थापित होने वाले वृहद तथा मध्यम श्रेणी की इकाईयों को विभिन्न प्रकार की सहायता कर प्रदेश के औद्योगिकरण की गति को तेज करना था, जिससे मध्यप्रदेश की औद्योगिक परिदृश्य पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बन सके । निगम का गठन 13 सितम्बर 1965 को कंपनी एक्ट 1956 के प्रावधानो के अनुसार किया गया, जिसमें शत प्रतिशत अंशपूंजी में राशि मध्यप्रदेश शासन द्वारा वेष्ठित की गयी। निगम का मुख्यालय 'एव्हीएन टावर', प्लाट नंबर 192, जोन-1, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल (म.प्र.) में स्थित है।

(ii) वर्तमान में निगम का कार्य मुख्यत: निगम द्वारा पूर्व में वितरित ऋणों की वसूली किया जाना है । निगम के संचालक निगम के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करते हैं ।

(iii) निगम में 31.12.2022 की स्थिति में कुल 20 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं, इनमें से 03 महिलाएं एवं 17 पुरूष सम्मिलित हैं ।

➢ **<u>एम.पी. इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशल लि. भोपाल –</u>**

(i) निगम सेटअप में 613 पद स्वीकृत हैं, जिसमें वर्तमान में 238 पद निगम सेवा एवं प्रतिनियुक्ति से भरे हुए हैं तथा 375 पद रिक्त हैं।

(ii) सेटअप के स्वीकृत पदों के अतिरिक्त निगम में 453 सेवक डाईंग केडर में भी कार्यरत हैं।

(iii) राज्य शासन के पदोन्नति नियम न्यायाधीन होने के कारण अभी पदोन्नतियों पर कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं हो सका है।

(iv) निगम के समयमान वेतनमान के लम्बित प्रकरणों में ''समाप्त संवर्ग'' एवं ''जीवित संवर्ग'' के लगभग 175 प्रकरणों को समयमान वेतनमान प्रदाय किया गया एवं वर्तमान में पात्रतानुसार समयमान वेतनमान प्रदाय करने की कार्यवाही प्रचलन में हैं।

(v) निगम में शासन की भॉति कोई भी पेंशन योजना प्रचलन में नहीं है।

(vi) सूचना के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 01.01.2022 से 31.12.2022 तक कुल 40 आवेदन प्राप्त हुए गत वर्ष के 03 लम्बित प्रकरणों सहित कुल 43 प्रकरणों में से 39 प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा 04 प्रकरण प्रक्रियाधीन है। विचाराधीन अवधि में 02 अपील प्रकरण प्राप्त हुए है। गत् वर्ष का 01 लंबित प्रकरण सहित 03 अपील प्रकरणों में से 01 प्रकरण का निराकरण किया गया तथा 02 अपील प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

निगम में स्वीकृत कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की जानकारी (31.12.2022 की स्थिति में)

क्रमांक	संवर्ग का नाम/पद	स्वीकृत पद	कार्यरत
1	प्रबंध संचालक	01	01
2	कार्यकारी संचालक	09	05
3	मुख्य अभियंता	01	00
4	मुख्य महाप्रबंधक	17	08
5	अधीक्षण यंत्री	10	01
6	महाप्रबंधक	32	12
7	कार्यपालन यंत्री	25	03
8	कम्पनी सचिव	08	01
9	वरिष्ठ लेखाधिकारी	08	01
10	प्रबंधक	94	26
11	सहायक यंत्री	45	25
12	लेखाधिकारी	01	00
13	सहायक प्रबंधक	68	09
14	कनिष्ठ यंत्री	75	29
15	कार्यकारी सहायक	16	15
16	सहायक ग्रेड-1	97	53
17	सहायक ग्रेड-2	98	49
18	कैशियर	08	00
योग		**613**	**238**

भाग –पाँच

अभिनव योजनाएँ

➢ **<u>संचालक, वाष्पयंत्र मध्यप्रदेश -</u>**

(i) **आवेदन पत्र ऑन लाईन करने की सुविधा :-** बायलर संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त सेवाओं एवं परिक्षाओं के आवेदन ऑन लाईन प्रेषित करने हेतु मेप आई टी भोपाल द्वारा एक वेबसाइट db.mp.gov.in निर्मित की गई है। ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा उपलब्ध है।

(ii) **बायलर्स एक्ट 1923 की धाराओं से छूट :-** प्रतिवेदित अवधि में राज्य शासन द्वारा धारा 34 (2) के अन्तर्गत राज्य में स्थित विभिन्न इकाईयों के 30 बायलरों को बॉयलर एक्ट 1923 की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान की गई है।

➢ **<u>एम.पी.इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशल लि. भोपाल -</u>**

(i) **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस:- व्यवसाय को आसान करने के वातावरण को बनाने के लिए मध्य** प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं, जिन्हें प्रमुख रूप से निम्न कारकों के द्वारा प्राप्त किया गया है –

- सरकारी प्रक्रिया की री-इंजीनियरिंग
- नीतियों का विश्लेषण
- ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देना जो सुधारो के मानक बने
- सेवा प्रदाय मे आने वाली बाधाओं की पहचान और उनका उन्मूलन

एक छत के नीचे सेवाओं की विस्तृत श्रंखला प्रस्तुत करके राज्य ने सिंगल विण्डो सिस्टम को मजबूती प्रदान की है। विभिन्न प्रक्रियाओं को सरल कर दिया गया है और श्रम कानूनों में सुधार हुआ है। राज्य में विभिन्न सेवाओं में स्व-प्रमाणीकरण की सुविधा भी शुरू की गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दृष्टिकोण के तहत राज्य रैंकिंग के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि समान जनसांख्यिकी और औद्योगिक विकास में अन्य राज्यों की अपेक्षा मध्य प्रदेश श्रेष्ठतर प्रदर्शन कर रहा है।

(ii) 30 दिवस में उद्योग प्रारंभ करने की प्रक्रिया अंतर्गत निवेश संबंधी विभिन्न आवश्यक सेवाओं की प्रदाय समयसीमा में कमी/युक्तियुक्त कर उन्हें 30 दिवस की सीमा में प्रदान करने की कार्यवाही की जा रही है, उन्हें मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम (PSGAct) की परिधि में भी लाए जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(iii) **कंप्यूटाईज्ड केन्द्रीकृत निरीक्षण व्यवस्था**- भारत सरकार द्वारा व्यापार संचालन सरलीकरण के लिए राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय व्यापार सुधार कार्यक्रम 2020 के क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए है। इस कार्य योजना अंर्तगत औधोगिक/व्यापारिक प्रतिष्ठानों हेतु आवश्यक निरीक्षणों के लिए एक कम्प्यूटराईज्ड केन्द्रीकृत निरीक्षण व्यवस्था निर्मित किए जाने हेतु, कंप्यूटाईज्ड केन्द्रीकृत निरीक्षण व्यवस्था एमपीआईडीसी द्वारा विकसित एवं परिनियोजित की गयी है।

(iv) **जीआईएस आधारित भूमि आवंटन पोर्टल:-** एमपीआईडीसी द्वारा जीआईएस आधारित भूमि आवंटन पोर्टल का निर्माण किया गया है। जीआईएस पोर्टल के माध्यम से किसी भी समय एवं स्थान पर औद्योगिक भूखण्डो की उपलब्धता देखी जा सकती है। इसके माध्यम से पूर्ण रूप से ऑनलाईन भूमि

बुकिंग प्रक्रिया एवं ऑनलाईन आवेदन करने की सुलभता प्रदान की जाती है। साथ ही आधार (UIDAI) आधारित ई-साइन सुविधा एवं उक्तानुसार वैध डिजीटल सिग्नेचर प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ऑनलाइन भुगतान एनईएफटी/आरटीजीएस एवं चालान जैसे विभिन्न मोड के माध्यम से विभाग की ओर से भुगतान प्राप्त करने हेतु भुगतान गेटवे प्रणाली के साथ एकीकरण कर व रियल टाइम एप्लिकेशन स्टेटस ट्रेकिंग की सुविधा निवेशकों को प्रदान की जा रही है।

उक्त ऑनलाइन भूमि बुकिंग प्रक्रिया में कोई दस्तावेज आवश्यक नहीं होने के फलस्वरूप यह एक पूर्ण रूप से कागज रहित प्रणाली है। साथ ही समयबद्ध भूमि आवंटन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है। उक्त प्रक्रिया में त्वरित रसीदों एवं सूचना का प्रदाय (एसएमएस एवं ईमेल के माध्यम से) सुनिश्चित किया जाता है।

(v) सिंगल विंडो सिस्टम: INVEST Portal (इंटीग्रेटेड न्यू वेंचर इस्टेब्लिशमेंट):- मध्य प्रदेश राज्य को निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाने की दृष्टि से, निवेशक के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए एवं राज्य में निवेश के वातावरण में सुधार के लिए ''INVESTPortal'' नामक सिंगल विंडो सिस्टम के विकास के लिए क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया गया।

INVEST Portal किसी भी निवेश प्रस्ताव के पूरे निवेश जीवनचक्र के विभिन्न चरणों को आवृत्त करेगा जिसके अंतर्गत प्रारंभिक प्रस्ताव, नेतृत्व निर्मिति, आवेदन की स्थिति, स्थापना-पूर्व अनुमोदन, अनुदान रियायतों की स्वीकृति, संचालन- पूर्व अनुमोदन, अनुदान वितरण, विस्तार/विविधीकरण/ नवीनीकरण अनुमोदन आदि कार्यवाहियां समाहित हैं। यह पोर्टल स्वास्थ्य, पर्यटन आदि सेक्टर्स की परियोजनाओं के लिए आवश्यक अनुमोदन/अनुज्ञा आदि उपलब्ध कराएगा। यह पोर्टल निवेशकों को सरकारी नीतियों, प्रोत्साहन योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता की जानकारी भी प्रदान करेगा।

भाग –छः

विभागद्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन

- **कार्यालय रजिस्ट्रार,फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश** - कोई प्रकाशन नहीं निकाला जाता है।
- **संचालक, वाष्पयंत्र मध्यप्रदेश** - कोई प्रकाशन नहीं निकाला जाता है।
- **एम.पी. स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशल लि., भोपाल** - कोई प्रकाशन नहीं निकाला जाता है।
- **एम.पी. इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल -**

निगम द्वारा सामान्यतः किसी पुस्तक का प्रकाशन नहीं किया जाता है, यद्यपि निगम द्वारा अपने औद्योगिक क्षेत्र एवं परियोजनाओं से संबंधित ब्रोशर आदि का मुद्रण औद्योगिक उन्नति एवं प्रचार-प्रसार हेतु कराया गया है, इसके साथ-साथ निगम द्वारा विकसित किये जा रहे औद्योगिक क्षेत्र तथा किये जा रहे विकास कार्यो की जानकारी तथा भू आवंटन संबंधी जानकारी को भी दर्शाया जाता है।

भाग-सात
सारांश
कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश

कार्यालय, रजिस्ट्रार, फर्म्स एव संस्थाएं, मध्यप्रदेश विभागाध्यक्षीय कार्यालय हैं, जिसका मुख्यालय भोपाल में है एवं विभागाध्यक्ष रजिस्ट्रार है। इस कार्यालय के अधीन सात संभागीय कार्यालय क्रमशः भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर एवं रीवा संभाग में हैं।

कार्यालय को भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 एव मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1973 के तहत् कार्य सौंपा गया है।

ऐसी पंजीकृत संस्थाए जो नियमानुसार अधिनियम की धारा 27 एवं 28 की जानकारी विहित शुल्क के साथ जमा नहीं कर रही है, को उल्लंघन के नोटिस भेजने के पश्चात् भी यदि उनके द्वारा जानकारी व शुल्क जमा नहीं किया जा रहा है, का पंजीयन निरस्तीकरण करने की कार्यवाही सम्बन्धित असि0 रजिस्ट्रार द्वारा की जाती है।

➢ संचालक, वाष्पयंत्र मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश में बॉयलर एक्ट 1923 (5 ऑफ 1923) का प्रशासन प्रतिवेदित अवधि में श्री जी0पी0 पटेल, संचालक वाष्पयंत्र द्वारा एक निरीक्षक वाष्पयंत्र द्वितीय श्रेणी की सहायता से सम्पादित किया गया।

1. तृतीय पक्ष {Third Party } निरीक्षण :-

(i) म.प्र. की अधिसूचना दिनांक 06.12.2001 द्वारा बायलर अधिनियम 1923 की विभिन्न धाराओं को अपवर्जित कर निरीक्षण की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया था, जिसे म0प्र0 शासन की अधिसूचना दिनांक 27/05/2019 के द्वारा निरस्त किया जाकर बायलरों के निरीक्षण के अधिकार अधिसूचना में उल्लेखित बायलर इंजीनियर को प्रदत्त किये गये है।

(ii) म.प्र. राज्य में स्थित बायलरों का निरीक्षण सेन्ट्रल बायलर बोर्ड नई दिल्ली द्वारा नियुक्त सक्षम व्यक्ति द्वारा भी किये जा रहे हैं।

2. दुर्घटना :- प्रतिवेदित अवधि में पंजीकृत बायलरों में कोई गम्भीर दुर्घटना नहीं हुई है ।

3. इलेक्ट्रोड का निर्माण :- बायलर के वेल्डिंग जोड़ में लगने वाले इलेक्ट्रोड्स के निर्माण की 07 ईकाइयां प्रदेश में कार्यरत है। इकाइयों द्वारा निर्मित इलेक्ट्रोड्स की गुणवत्ता की जॉच प्रत्येक एक वर्ष में विभाग द्वारा इंडियन बायलर्स रेग्यूलेशन 1950 के मानकों के अनुसार की जाकर उन्हें प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं।

4. विशेष उपलब्धियां :-

(i) प्रतिवेदित अवधि में उन सभी बायलर्स के निरीक्षण पूर्ण कर लिये गये है, जिनके निरीक्षण हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे ।

(ii) शासन के निर्देशानुसार केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली के अन्तर्गत बायलरों का (सी आई एस) निरीक्षण प्रारम्भ किया गयाहै ।

(ii) वर्ष 2022-23 में दिसम्बर 2022 तक रूपये 248.25 लाख की आय व रूपयें 91.65 लाख का व्यय हुआ अर्थात रूपये 156.60 लाख की शुद्ध बचत हुई।

(iv) प्रतिवेदित अवधि में 66 बायलर्स एवं 04 इकानामाइजरों का पंजीयन किया गया ।

➢ **मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल**

1. निगम के लेनदारों की अद्यतन स्थिति :-

- निगम द्वारा लेनदारों से वूसली एक मुश्त निपटान योजना के अंतर्गत किया जाना है। प्रस्ताव राज्य शासन को स्वीकृत हेतु भेजे जा चुके है, जिसमें अग्रिम के रूप में चार इकाईयों से रूपये 0.48 करोड निगम को प्राप्त हो चुके हैं।
- शासन से प्राप्त राशि एवं निगम द्वारा आईसीडी की वसूली की राशि का 90 प्रतिशत की राशि को मिलाकर एस्क्रो खाते में लगभग रूपये 39.18 करोड दिनांक 31.12.2022 तक जमा है।
- निगम द्वारा लेनदारों के साथ् एक मुश्त निपटान योजना के लिये कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 391-394 के तहत सुरक्षित एवं कुछ बाण्ड धारकों को छोडकर (न्यायालयीन प्रक्रिया अंतर्गत एवं कुछ के द्वारा संपूर्ण दस्तावेज न प्रस्तुत किये जाने के फलस्वरूप भुगतान लंबित है) समस्त बाण्ड धारकों को भुगतान किया जा चुका है।

➢ **एम.पी. इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लि. भोपाल**

1. ईज़ आफ डूइंग बिजनेस :-

(i) प्रकरणों का निराकरण सिंगल विण्डो प्रणाली अंतर्गत।
(ii) पर्यावरण मंजूरी की सुविधा- संचालित करने हेतु सहमति (सीटीओ) एवं स्थापित करने हेतु सहमति (सीटीई)।
(iii) विनियामक मंजूरी संबंधी सुविधा - श्रम, भवन की अनुमति एवं भूमि का डायवर्सन।
(iv) न्यूनतम मानव बातचीत के साथ नियामक मंजूरी का स्वचालन।

2. औद्योगिक अधोसंरचना :-

(i) नवीन औद्योगिक क्षेत्र एवं निवेश कॉरीडोर का विकास।
(ii) प्रथम आओ प्रथम पाओ सिद्धांत पर सरल एवं पारदर्शी प्रणाली से आनलाईन भूमि आवंटन।
(iii) औद्योगिक क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता की अधोसंरचना का उचित मूल्य पर आवंटन।
(iv) नवीन उद्योगों को लेंड बैंक से आसानी से भूमि आवंटन उपलब्ध (बिना किसी प्रतीक्षा सूची के)।

3. एम.पी.आईडीसी क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्रांतर्गत विकसित, विकासाधीन एवं अविकसित भूमि की जानकारी

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	विकसित भूमि		विकासाधीन भूमि		अविकसित भूमि (हेक्टेयर में)
	औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	औद्योगिक क्षेत्रो की संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
भोपाल	13	2775.46	04	344.26	4543.093
ग्वालियर	12	2076.74	00	0.00	1294.109
इंदौर	32	5502.411	10	2730.56	5924.658
जबलपुर	15	1593.01	02	145.90	3339.718
रीवा	04	257.28	03	103.56	744.339
योग	**76**	**12204.901**	**19**	**3324.28**	**15845.917**

4. एम.पी.आईडीसी क्षेत्रीय कार्यालयों के औद्योगिक क्षेत्रों की विकसित भूमि की जानकारी -

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या	कुल भूमि (हेक्टेयर में)	आवंटन योग्य भूमि	आवंटित भूमि	रिक्त भूमि
			क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
भोपाल	13	2775.46	1912.83	1303.01	609.82
ग्वालियर	12	2076.74	1452.37	1204.42	247.95
इंदौर	32	5502.411	3734.709	2952.069	782.64
जबलपुर	15	1593.01	716.61	555.00	161.61
रीवा	04	257.28	164.67	133.96	30.71
योग	**76**	**12204.901**	**7981.189**	**6148.459**	**1832.73**

भाग-आठ

महिलाओं के लिये किये गये कार्य

➢ कार्यालय रजिस्ट्रार,फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश

(1) कार्यालय, रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश द्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 एवं भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के प्रशासन का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त केन्द्र या राज्य शासन की अन्य कोई योजना आदि का संचालन नहीं किया जाता है।

(2) मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन महिला मण्डलों का रजिस्ट्रीकृत किया जाता है। महिला उत्पीड़न के संबंध में कार्यालयीन कमेटी का गठन किया गया है एवं वर्तमान में महिला उत्पीड़न से संबंधित कोई प्रकरण लंबित नहीं है।

➢ एम.पी इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल

(1) एम.पी. इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. द्वारा उच्चतम न्यायालय से जारी मार्गदर्शी सिद्धांत के परिपालन में कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिये समिति का गठन किया गया है। सूचना पटल पर भी जानकारी प्रदर्शित की गई है ।

(2) एम.पी. इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा शासन के निर्देशों के पालन में क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्यालय में एक महिला प्रकोष्ठ निर्मित किया गया है, जिसमें निगम के महाप्रबंधक स्तर के नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। प्रकोष्ठ में उद्योग स्थापना संबंधी जानकारी, उद्योग स्थापना संबंधी प्रक्रिया, छूट एवं सुविधाएं आदि जानकारी संग्रहित की गई है। महिला उद्यमी निगम कार्यालय में उद्योग स्थापनार्थ सम्पर्क करती है, उन्हें सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाती है ।

Notes :

Notes :

Notes :

"इन्वेस्ट मध्यप्रदेश - ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023" की झलकियां

कार्यरत औद्योगिक इकाईयां

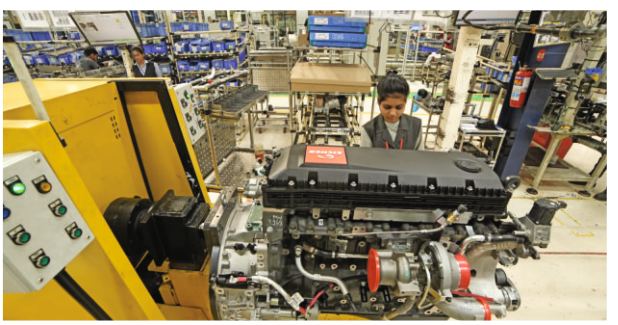

इंदौर में स्थापित क्रिस्टल आईटी पार्क एवं अतुल्य आईटी पार्क

विभिन्न सेक्टर्स से संबंधित इकाईयां एवं सोलर पार्क